सुविचार

जो सीख समय और अनुभव हमें देते हैं, वह कोई किताब नहीं सिखा सकती।

दैनिक

रेवांचल टाइम्स

निष्पक्ष, निर्भीक एवं सत्य का प्रवर्तक

Revanchal Times
7509202320
@revanchal_times
revanchaljabalpur@gmail.com
revanchaltimes_

वर्ष 3 | अंक 277 | जबलपुर, गुरुवार 01 सितम्बर 2026 | पृष्ठ 8 | मूल्य, 01 रुपये | RNI. Reg. No MPHIN/2023/90965

INDIA गठबंधन के बीच 6 पॉइंट पर बनी बात



खरगे बोले- 'राष्ट्रपति से मांगेंगे वक्त'

नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार (30 सितंबर 2026) को हुई क्ष्ठउक्ष्क्ष गठबंधन की बैठक में चुनाव आयोग और रक्फ़ को लेकर विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि करीब साढ़े 3 घंटे तक चली बैठक में सभी दलों ने मिलकर आगे की लड़ाई लड़ने पर सहमति जताई. उन्होंने बताया कि कुछ नेता ऑनलाइन भी बैठक से जुड़े थे और उद्धव ठाकरे तथा हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखी. इसके 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया.

खरगे के मुताबिक, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं ने बैठक में कई सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अब चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त कार्यक्रम चलाएगा.

2 से 8 अक्टूबर तक ह्यलोकतंत्र बचाओ मार्च : खरगे ने बताया कि इंडिया गठबंधन ने 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशभर में लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान जिला स्तर पर मार्च और प्रदर्शन किए जाएंगे. विपक्षी दलों से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और लोकतंत्र के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों को इसमें शामिल होने की अपील की गई है. खरगे ने कहा कि इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाना है.

6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च : खरगे ने कहा कि 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे. उन्होंने बताया कि पहले यह कार्यक्रम पहले की तारीख पर करने की बात थी, लेकिन बाद में सभी सांसदों की उपलब्धता को देखते हुए 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई. इससे पहले विपक्षी दलों ने उएउ ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को भी इंडिया गठबंधन के अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया है. गठबंधन की बैठक में चुनाव आयोग, रक्फ़ मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा हुई.

राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेगा विपक्ष : खरगे ने कहा कि विपक्षी नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे. इस मुलाकात में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विपक्ष के सवाल राष्ट्रपति के सामने रखने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग और सरकार से जुड़े इन मुद्दों पर उसकी चिंताओं को संवैधानिक स्तर पर भी सामने रखा जाए.

खरगे ने मोदी-शाह पर लगाए आरोप

बैठक के बाद खरगे ने चुनाव आयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पीछे मोदी और शाह हैं. खरगे ने इससे पहले भी उएउ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी और उन्हें सरकार का कठपुतली बताया था.

'ज्ञानेश कुमार चोर है, डाकू है', CEC पर ममता का तीखा हमला



नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 20 दलों ने एकमत होकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है. बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि चुनाव आयोग वोटों की गड़बड़ी में शामिल है. ज्ञानेश कुमार कठपुतली बने हुए हैं. इसके खिलाफ हम 2 से 8 अक?टूबर तक हम अभियान चलाएंगे. 6 तरीख को चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे. विपक्षी नेता राष?ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे.

ज्ञानेश कुमार पर ममता का सबसे तीखा हमला : विपक्षी दलों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सबसे तीखा हमला बोला. ममता बनर्जी ने कहा- बीजेपी ने सभी चुनाव वोट चोरी से जीती. मैं चुनाव आयोग और सुप्रीम तक गई, लेकिन मेरी बात को सुना नहीं गया. अब यह साबित हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार चोर है, डाकू है।

ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए: ममता बनर्जी : ममता बनर्जी ने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. अगर ज्ञानेश कुमार को नहीं हटाया गया तो हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे. इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है.

भारत ने तीरंदाजी में रचा इतिहास

महिला टीम के बाद मिक्स्ड टीम ने भी जीता गोल्ड मेडल



आइची-नागोया। एशियाई खेल 2026 में बुधवार को भारत ने मिश्रित तीरंदाजी टीम स्पर्धा और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। आज यहां साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करे हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। यह फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय टीम ने शूट-ऑफ में अपना संयम बनाए रखा। कोरियाई टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

चिकिता का इन खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक और साहिल का पहला स्वर्ण पदक है। इस जीत के साथ, भारत ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। इससे पहले सुबह के सत्र में भारत ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी ने महिला कंपाउंड टीम फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया और अपना एशियाई खेलों का खिताब बरकरार रखा। भारतीय टीम ने आधे समय तक 119-116 की बढ़त बना रखी थी और दूसरे हाफ में चीन की चुनौती का सामना करते हुए जीत पक्की की। 238 अंक का स्कोर दक्षिण कोरिया द्वारा इंचियोन में एशियाई खेल 2014 में बनाए गए महिला कंपाउंड टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर भी था। आइची-नागोया 2026 एशियाई खेलों में यह भारत का सातवां स्वर्ण पदक है।

हैदराबाद के सरकारी डॉक्टर की काली कमाई का खुलासा

लग्जरी कारें, 8 आलीशान फ्लैट और गोल्ड...

हैदराबाद। तेलंगाना एंटी-कोरप्शन ब्यूरो ने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और प्रोफेसर डॉ. नोरी लक्ष्मी भास्कर के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी जांच और तेज कर दी है। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि हाल ही में हुई छापेमारी के दौरान एसीबी को कई बेनामी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन के चौंकाने वाले दस्तावेज हाथ लगे हैं। ताजा छापों में क्या-क्या मिला?



अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद एसीबी की टीमों ने हैदराबाद और उसके आस-पास कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान में NIMS सरकारी अस्पताल में काम करने वाले एक नाई के घर से 4.94 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। एसीबी यह जांच कर रही है कि डॉक्टर के साथ उसके वित्तीय संबंध क्या हैं? जांच एजेंसी को महेश्वरम में तीन कृषि जमीनों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 57 लाख रुपये है। इसके अलावा हैदराबाद के सबसे महंगे और पॉश इलाके बंजारा हिल्स की 'टछअ कॉलोनी' में एक खुला प्लॉट मिला है। इसकी बुक वैल्यू करीब 2.7 करोड़ रुपये है, जबकि बाजार में इसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। यह प्लॉट एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी डी. गणेश और अन्य सहयोगियों से जुड़ा बताया जा रहा है।

इतना ही नहीं इन सभी चिजों के इतर 20 लाख रुपये के दो निवेश पोर्टफोलियो और 3 लाख रुपये के हैंड-लोन की रसीदें भी मिली हैं। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि इन नई संपत्तियों के सामने आने के बाद गिरफ्तार किए गए ठक्टर के इस डॉक्टर की कुल संपत्ति का बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पहुंच सकता है।

जम्मू-कश्मीर: बडगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर का एक आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बडगाम जिले के यूसमर्ग के ऊपरी इलाकों में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक संदिग्ध आतंकवादी को मार गिराया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ मंगलवार देर रात तब शुरू हुई जब सुरक्षाबलों ने खास खुफिया जानकारी के आधार पर यूसमर्ग के कोराग इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सेना ने कहा कि भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने यूसमर्ग के कोराग इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की श्रीनगर में चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ह्लचौकस सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। अभियान जारी है।ह्व हालांकि सेना और पुलिस ने अभी तक मारे गए आतंकवादी की पहचान नहीं बताई है, लेकिन सुरक्षा सूत्रों को शक है कि वह एलईटी से



जुड़ा एक पाकिस्तानी आतंकवादी था। इस महीने बडगाम के जंगलों में यह दूसरी मुठभेड़ है। गत चार सितंबर को एलईटी से जुड़ा और पाकिस्तानी नागरिक यासिर कथित तौर पर कई सालों से जम्मू-कश्मीर में सक्रिय था, बडगाम के ऊंचाई वाले अशदर गली इलाके में एक मुठभेड़ में मारा गया था। सुरक्षा बलों को शक था कि उस मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकवादी भागने में कामयाब रहा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादी का पता लगाने के लिए बडगाम के पहाड़ी और जंगली इलाकों में तलाशी तेज कर दी।

बिहार के सारण में गंडक पर बना बांध टूटा 6 जिलों में बाढ

नई दिल्ली। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक समेत उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं। 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इससे 1.59 लाख लोग प्रभावित हैं। बगहा-बेतिया में 4 जगह तटबंध टूटने के बाद बुधवार सुबह सारण में भी बांध टूट गया। निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है। राज्य के 17 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है। इसके चलते प्रदेश में बारिश कम हो गई है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांवों और मोहल्लों में पानी घुस गया है। गलियों में नावें चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के पडेरू में बारिश के बाद कई इलाकों में घना कोहरा दिखा।

भारतीय एजेंसियों का अरब सागर में बड़ा एक्शन

3000 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार

गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में नार्को-टेररिज्म पर बड़ा प्रहार किया है. एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की 3,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है. अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेररिज्म नेटवर्क की कमर तोड़ने वाले इस एक्शन में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है. इस ऑपरेशन में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं. ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक समुद्री और हवाई निगरानी करते हुए, भारतीय तटरक्षक बल ने लगातार पीछा किया और 25 सितंबर 2026 को संदिग्ध ईरानी नाव (ड्ढिद्ब) को रोककर उस पर कार्रवाई की और तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया. समुद्र में हुए इस ऑपरेशन में लगभग 526 किलोग्राम हाई ग्रेड ड्रग्स (हेरोइन और मेथामफेटामाइन) जब्त की गईं. इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. साथ ही, नाव चला रहे पांच पाकिस्तानी नागरिकों को भी तुरंत हिरासत में ले लिया गया. विदेशी ड्रग्स सिंडिकेट की आर्थिक कमर तोड़ी पकड़ी गई नाव, उसके चालक दल और जब्त ड्रग्स को कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई लाया गया है, ताकि पूछताछ और कई एजेंसियों द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सके. यह ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री ताकत, मजबूत निगरानी तंत्र और भारत के समुद्री इलाकों में गैर-कानूनी गतिविधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (सख्त रुख) की नीति को दिखाता है. विदेशी सिंडिकेट की आर्थिक कमर तोड़कर और खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही रोककर एक बड़े मिशन को अंजाम दिया गया. यह मिशन केंद्र सरकार के 'नशा मुक्त भारत अभियान' के राष्ट्रीय विजन को और मजबूत बनाता है.



5 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार

ड्रग्स तस्करी के आरोप में 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. लंबे समय से इसको लेकर इनपुट भी थे और आखिरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है. इस मामले में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं, अब उनसे पूछताछ तो पता चलेगा कि नेक्सस कब से सक्रिय था.

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की जमानत पर सुको में होगी सुनवाई

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव से पहले कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत



वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका में बेंच से कहा कि मिलन प्रधान को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई है और मामले को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उखकसूर्यकांत ने कहा कि याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।नंदीग्राम उपचुनाव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान 2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में जेल में बंद थे।

दीवाली पर पटाखे जला सकते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से किया इनकार, लेकिन रखी एक शर्त



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, इसलिए कोर्ट न तो इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएगा और न ही चौबीसों घंटे आतिशबाजी की इजाजत देगा। जस्टिस एमएम सुंदेशन और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि पटाखे चलाने के लिए समय तय करके बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न तो इस पर पूरी तरह बैन लगाने के लिए तैयार हैं और न ही हम उन्हें दिन के 24 घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत देंगे। पूरी तरह बैन लगाने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी और पूरे दिन पटाखे फोड़ने की इजाजत देने से बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों समेत सभी जीवित प्राणियों पर बुरा असर पड़ेगा। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि हमें कोई ऐसा समाधान निकालता होगा जिससे हम पटाखे फोड़ने के लिए एक तय समय दे सकें।

ग्रीन क्रैकर्स पर शर्तों से साथ किया जा सकता है विचार

सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक नोट पेश किया जिसमें कहा गया कि उरक्फ़-ठएएफ़क्र की सिफारिश के अनुसार, खास अगली पीढ़ी के जुड़े हुए ग्रीन क्रैकर्स के मामले में सीमित और शर्तों के साथ छूट पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते ने शोर, उत्सर्जन और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करें और कुछ शर्तों को पूरा करें।

नोच में आगे कहा गया कि इन खास पटाखों को तभी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है जब उन्हें सही लाइसेंस वाले निमार्ताओं ने बनाया हो, वे 125इ(अक)/145इ(उ) पीक की तय शेर सीमा का पालन करते हों और प्रतिबंधित केमिकल न हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे पर 15 अक्तूबर को विचार करेगा।

मां रेवा पब्लिकेशन एंड प्रिंटर्स

जबलपुर शहर में सबसे कम दामों में

समाचार पत्र के A to Z कार्य का एकमात्र स्थान

प्रिंटिंग
जॉब वर्क
न्यूज पेपर
पीडीएफ

संपर्क करें
7415685293
9589490996
9340553112

68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड, मुस्कान प्लाजा के पीछे, एम आर 4 रोड, उखरी, जबलपुर (मप्र)

जांच में लापरवाही उजागर, निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित... फिर भी फाइल क्यों नहीं बढ़ी? आखिर किसका मिल रहा है संरक्षण...

सहायक आयुक्त कार्यालय के क्षेत्र संयोजक विष्णु सिंगोर पर निलंबन की तलवार... विष्णु सींगोर कानून से भी बड़ा..?



दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में शासकीय व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्रा की मौत से जुड़े मामले में हुई विभागीय जांच में तत्कालीन सहायक संचालक, जनजातीय कार्य विभाग मंडला क्षेत्र संयोजक विष्णु सिंगोर की भूमिका को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आने का उल्लेख कलेक्टर कार्यालय मंडला के पत्र क्रमांक एस. सी./ 2026/ 531 जारी दिनांक 15/09/2026 में उल्लेख किया गया है। कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने की बात भी पत्र में दर्ज है। वही जानकारी के अनुसार मामला इतना गंभीर है कि कलेक्टर कार्यालय को अब मानव अधिकार आयोग को की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए संबंधित विभाग से कार्रवाई की जानकारी मांगनी पड़ी है।

ऐसे में सवाल यह है कि जांच में जिम्मेदारी तय होने और निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित होने के बाद आखिर सरकारी फाइल किस गति से चली? और यदि कार्रवाई में देरी हुई तो उसकी जवाबदेही किसकी है?

जांच दल की रिपोर्ट में विष्णु सिंगोर पर सहयोग नहीं करने का उल्लेख- कलेक्टर कार्यालय से सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को भेजे गए 15 सितंबर 2026 के पत्र में दैनिक जागरण में 19 अगस्त 2025 को प्रकाशित ह्लएकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्रा ने तोड़ा दमह्व शीर्षक समाचार का उल्लेख है। पत्र के अनुसार, इस मामले में संयुक्त जांच दल गठित कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि विष्णु सिंगोर क्षेत्र संयोजक, सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग मंडला द्वारा जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। इतना ही नहीं, पत्र के अनुसार छात्रा की मृत्यु के बाद भी उनके स्तर से जांच नहीं कराई गई तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की भी अनदेखी की गई। जांच रिपोर्ट में इन्हीं कारणों के आधार पर निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने का उल्लेख है।

सवाल निलंबन प्रस्ताव से आगे का है

यहीं से पूरा मामला और गंभीर हो जाता है। यदि विभागीय जांच में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी और लापरवाही सामने आती है तथा उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, तो फिर कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने में देरी क्यों और आखिरकार सहायक आयुक्त कार्यालय में बैठे विष्णु सींगोर को किसका संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते निलंबन कार्यवाही के बाद में भी विष्णु सींगोर अपने पैर अंगद की तरह जमाया हुआ हैं? क्या प्रस्तावित निलंबन वास्तव में अमल में आया? यदि आया तो आदेश कब जारी हुआ? यदि नहीं आया तो फाइल कहां अटकी? और यदि कार्रवाई में देरी हुई तो जिम्मेदार अधिकारी कौन है? इन सवालों का जवाब अब जनजातीय कार्य विभाग को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए।

निलंबन के बाद भी संरक्षण मिला तो किसके इशारे पर?

मामला केवल एक अधिकारी की कथित लापरवाही तक सीमित नहीं है। असली सवाल उस प्रशासनिक संरक्षण की धारणा का है, जो कार्रवाई प्रस्तावित होने के बावजूद यदि किसी अधिकारी को लंबे समय तक राहत मिलती है तो स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। सरकारी व्यवस्था में जांच रिपोर्ट केवल कागज सजाने के लिए नहीं होती। जांच में यदि जिम्मेदारी तय होती है तो उसके बाद कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए। वरना जांच, रिपोर्ट, प्रस्ताव और नोटशीट—सब कुछ सरकारी फाइलों में दबकर रह जाता है और जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित होकर रह जाती है। मानव अधिकार आयोग को रिपोर्ट भेजनी है, फिर भी कार्रवाई पर सवाल कलेक्टर कार्यालय के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि की गई कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराया जाए, ताकि मानव अधिकार आयोग को की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन से अवगत कराया जा सके। इससे यह सिद्ध होता हैं कि मामला केवल विभागीय अनुशासन का नहीं, बल्कि मानव अधिकार आयोग के समक्ष भी कार्रवाई की स्थिति बताने से जुड़ा है। ऐसे में कार्रवाई में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर सकती है।

आदिवासी जिले में 'जिम्मेदारी' की फाइल इतनी धीमी क्यों?

मंडला को आदिवासी बाहुल्य जिला कहा जाता है। यहां आदिवासी विद्यार्थियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखरेख की जिम्मेदारी सामान्य विद्यालयों की तुलना में और अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में यदि किसी छात्रा की मौत के बाद जांच में संबंधित अधिकारी पर जांच में सहयोग नहीं करने, स्वयं जांच नहीं कराने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप दर्ज होते हैं, तो मामला केवल एक कर्मचारी की गलती मानकर खत्म नहीं किया जा सकता। जवाबदेही तय करने वाले आदेशों पर अमल कराने की जिम्मेदारी किसकी थी?

कहीं ह्यफाइल चलेगी के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं? सरकारी कार्यालयों



में अक्सर कार्रवाई के नाम पर पत्राचार चलता रहता है—जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, नोटशीट चलती है, प्रस्ताव तैयार होता है और फिर मामला अगली टेबल पर पहुंच जाता है। लेकिन आमजनता का प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल सीधा है— जांच में लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई कब होगी? मंडला के इस मामले में भी अब यही सवाल सबसे बड़ा है। यदि निलंबन प्रस्तावित किया गया था तो उसके बाद की पूरी कार्रवाई सार्वजनिक होनी चाहिए। यदि निलंबन हुआ तो आदेश की तारीख और वर्तमान स्थिति जिम्मेदारों के द्वारा स्पष्ट की जाए। और यदि निलंबन नहीं हुआ तो किस स्तर पर रोक लगी और क्यों लगी, इसका जवाब भी सामने आना चाहिए। क्योंकि कानून और सरकारी आदेशों की ताकत तभी दिखाई देती है, जब वे कागज से निकलकर जमीन पर भी दिखाई दें। तो वहीं जब रेवांचल टाइम्स अखबार के माध्यम से सहायक आयुक्त जनजाति मंडला अरुण शुक्ला से उक्त आदेश और विष्णु सिंगोर पर की जाने वाली कार्यवाही को लेकर बात की तो उनका जवाब था कि आज दिनांक तक मुझे ऐसी कोई जानकारी और आदेश की कॉपी प्राप्त ही नहीं है जिससे में संबंधित पर कोई ठोस कार्यवाही कर सकूं।

इनका कहना हैं..

विष्णु सिंगोर के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही को लेकर आपके द्वारा मुझे अवगत करवाया गया है मैं संबंधित आदेश को देख लु फिर उसके बाद में ही उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अरुण शुक्ला, सहायक आयुक्त जनजाति कार्यालय मंडला



इमलीटोला की महिलाएं बोलीं - अस्पताल पहुंचने से पहले हो जाती है मौत, कटंगसिवनी में एक हैंडपंप के सहारे पूरा गांव

मंडला में विकास के दावे फेल एक गांव सड़क को तरसा दूसरा बूंद-बूंद पानी को

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। जिले में सरकार के विकास के खोखले दावे और वादों की पोल खुल रही हैं जहाँ अलग-अलग विकासखंडों के दो गांवों ने खोल दी है। एक तरफ नैनपुर तहसील का इमलीटोला गांव आजादी के बाद से पक्की सड़क को तरस रहा है, तो दूसरी तरफ निवास ब्लॉक का कटंगसिवनी गांव करोड़ों खर्च के बाद भी एक हैंडपंप के पानी पर जिंदा है। दोनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार नैनपुर के ईश्वरपुर पंचायत के इमलीटोला है। यहां की आदिवासी महिलाएं बार-बार जनसुनवाई में आकर इमलीटोला से जामगांव मार्ग तक पक्की सड़क की मांग कर रही हैं। गांव में किसी भी तरफ से पक्की सड़क नहीं है, न जामगांव से न ईश्वरपुर से। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता न होने से बीमार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही मौत तक हो जाने का डर बना रहता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते तो उनकी हाजिरी स्कूल में कम होने का डर बना रहता है। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को चक्करदार रास्ते से घुमाकर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। बरसात में कच्चा रास्ता दलदल बन जाता है। इसी तरह निवास ब्लॉक के ग्राम कटंगसिवनी है। यहां नल-जल योजना में करोड़ों खर्च दिखाई दे तो रहा है पर पाइप बिछी, टंकी का ढांचा खड़ा है, लेकिन नलों में पानी नहीं आता। पूरा गांव एकमात्र हैंडपंप, बावड़ी और झिरिया के सहारे है। महिलाएं सुबह-शाम दूर-दूर तक पानी ढोने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने से बीमारियों का खतरा बना है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बाद भी सरपंच-सचिव सुनते नहीं। थक-हारकर दोनों गांवों के ग्रामीण मण्डला योजना भवन में जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से सड़क और पानी की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की है।

हराभाट में स्टोन क्रेशर के खिलाफ ग्रामीणों की हुंकार, कलेक्टर-खनिज विभाग से कार्रवाई की मांग

पंचायत और ग्रामसभा के अधिकारों की अनदेखी का आरोप, जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के सवाल ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किल

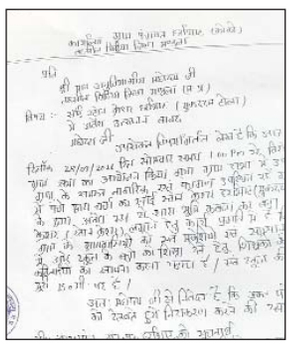
दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम यानी ढएरअ और संविधान की पांचवीं अनुसूची की व्यवस्था लागू होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब बिछिया तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हराभाट (कोको) में स्टोन क्रेशर और खनिज विभाग से प्राप्त अनुमति में अधिक मात्रा में कथित अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम पंचायत की ओर से दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव क्षेत्र में साईं स्टोन क्रेशर के संचालन और उससे जुड़े उत्खनन से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में ग्रामसभा में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए अवैध उत्खनन रोकने तथा क्रेशर को हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि क्रेशर के कारण गांव के रास्तों, आसपास के वातावरण और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

ढएरअ के रहते आखिर ग्रामसभा की आवाज क्यों दब रही?

यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि केंद्र सरकार के अनुसार ढएरअ के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा और पंचायतों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ढएरअ की धारा 4(') और 4(') में अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों से जुड़े खनन पट्टे और नीलामी से पहले ग्रामसभा या संबंधित पंचायत की अनुशंसा को अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। केंद्र सरकार की वेबसाइट पर भी इन नियमों को सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे में ग्रामीणों का सवाल है कि जब कानून ने ग्रामसभा को अधिकार दिए हैं, तो फिर गांव की आपत्ति और ग्रामसभा में उठाई गई शिकायतों के बावजूद कथित क्रेशर और उत्खनन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही?

जिले में पेशा के अधिकार कागजों में, पत्थर माफिया के आगे बेबस ग्रामसभा!





क्या जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में चल रहा कारोबार?- ग्रामीणों के बीच यह आरोप भी चर्चा में है कि साई स्टोन क्रेशर संचालन और भंडारण की विभाग से केवल एक हेक्टर की अनुमति प्राप्त होने की जानकारी मिली है पर संचालक के द्वारा श्मशान घाट, गोहू की भूमि और नाला में बने स्टॉप डेम के आसपास तक की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर खनन करने की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दी गई साथ यह आरोप लगाया कि साई क्रेसर संचालक और उसके साथी प्रभावशाली लोगों और जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के कारण संबंधित विभाग कार्रवाई करने से बच रहे हैं। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन यदि शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि कार्रवाई में देरी की वजह क्या है और जिम्मेदारी किसकी तय होगी? सवाल यह भी है कि खनिज विभाग, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचायत और स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी आखिर किस स्तर तक है? यदि क्रेशर के पास सभी वैधानिक अनुमति और पर्यावरणीय स्वीकृतियां हैं तो प्रशासन उन्हें सार्वजनिक करे और यदि अनुमति में कमी है या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई कब होगी? मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था में खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी वैधानिक अनुपालनों का प्रावधान है तथा बोर्ड ने स्टोन क्रेशर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग दिशानिर्देश भी सूचीबद्ध किए हैं।

ग्रामीणों का सीधा सवाल—जांच होगी या फिर फाइलों में दब जाएगी शिकायत? ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अब निगाहें कलेक्टर और खनिज विभाग पर हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मौके का निष्पक्ष निरीक्षण, उत्खनन क्षेत्र की सीमांकन जांच, अनुमति-पत्रों की जांच, ग्रामसभा की भूमिका और पर्यावरणीय मानकों की जांच कराई जाए।

सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या ढएरअ के तहत मिले ग्रामसभा के अधिकार जमीन पर भी दिखाई देंगे या पत्थर और पैसे के प्रभाव के सामने ग्रामसभा की आवाज फिर दब जाएगी

PESA लागू, फिर अधिकारों की अनदेखी क्यों? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। लघु खनिजों से संबंधित खनन पट्टे/नीलामी से पहले ग्रामसभा या संबंधित पंचायत की भूमिका कानून में निर्धारित है। फिर हराभाट की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी? खनिज विभाग बताए—क्रेशर के पास कौन-कौन सी अनुमति? खनन पट्टा, पर्यावरणीय स्वीकृति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य वैधानिक अनुमतियों की जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। सांसद विधायक मंत्री जनप्रतिनिधियों के संरक्षण का आरोप—प्रशासन करे स्थिति साफ, ग्रामीणों के आरोप गंभीर हैं। यदि संरक्षण का आरोप गलत है तो जिम्मेदार अधिकारी स्थिति स्पष्ट करें; और यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो कार्रवाई में देरी किसके दबाव में हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

माइक्रोफाइनेंस कर्ज और वसूली से परेशान महिलाओं का धरना सातवें दिन जारी, प्रशासन से जांच और राहत की मांग



दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। माइक्रोफाइनेंस कर्ज और कथित वसूली दबाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का कलेक्ट्रेट रोड पर धरना सातवें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी महिलाएं माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कार्यप्रणाली की जांच, कथित अनुचित वसूली पर कार्रवाई और कर्ज संबंधी राहत की मांग कर रही हैं।

महिलाओं के गंभीर आरोप-आय और कर्ज क्षमता देखे बिना दिए गए लोन- धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं ने परिवार की आय, पहले से चल रहे कर्ज और भुगतान क्षमता का पर्याप्त आकलन किए बिना ऋण दिए। महिलाओं का कहना है कि कई परिवार अब एक साथ कई किस्तों और ब्याज के भुगतान के दबाव से जूझ रहे हैं। **घर पहुंचकर दबाव, गाली-गलौज और मारपीट के भी लगाए आरोप-** प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ वसूली एजेंट किस्त और ब्याज की रकम के लिए घरों तक पहुंचकर दबाव बनाते हैं। महिलाओं ने अभद्र भाषा के इस्तेमाल, अपमानजनक व्यवहार और कुछ मामलों में मारपीट तक के आरोप लगाए हैं। उनका यह भी कहना है कि जमा की गई राशि की रसीद नहीं मिलने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। **कुछ महिलाओं के घर छोड़ने का भी दावा, स्वतंत्र पुष्टि जरूरी-** धरना दे रही कुछ महिलाओं ने दावा किया कि कथित वसूली दबाव और एजेंटों के डर के कारण कुछ महिलाएं अपना घर छोड़ चुकी हैं और उनके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है। इस गंभीर दावे की स्वतंत्र अथवा पुलिस रिकॉर्ड से पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे मामलों में संबंधित परिवारों की शिकायत और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर तथ्य स्पष्ट होना आवश्यक है। **निंधानी, सानी मोहगांव, कुड़ादेवरी और चीचगांव की महिलाएं आंदोलन में-** धरना पक्ष के अनुसार निंधानी, सानी मोहगांव, कुड़ादेवरी और चीचगांव सहित विभिन्न गांवों की महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। सेवती, विनीता मरावी, सियावती, गंगा बाई, सेवकली, सिया बाई परते, ममता, सुनीता, संतिया, पुसिया, यशोदा, बबली, मेमवती, फूलवती और अन्य महिलाएं आंदोलन में अपनी मांगें उठा रही हैं। **माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की जांच कराने की मांग-** प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि जिले में ऋण देने वाली माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के ऋण वितरण, ब्याज, किस्त, रसीद और वसूली प्रक्रिया की जांच की जाए। महिलाओं ने कर्ज माफी की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। **फ्हक के नियमों में भी वसूली के कठोर तरीकों पर रोक-** भारतीय रिजर्व बैंक के माइक्रोफाइनेंस संबंधी नियामकीय ढांचे के अनुसार फ्हकसे विनियमित संस्थाओं को ऋण देने से पहले परिवार की आय और कर्ज दायित्व का आकलन करना होता है। वसूली के दौरान धमकी, अपमानजनक भाषा, हिंसा या हिंसा की धमकी तथा परिवार या अन्य लोगों को परेशान करने जैसे कठोर तरीकों की अनुमति नहीं है। ऐसे में महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों की संबंधित दस्तावेजों और कंपनी रिकॉर्ड के आधार पर जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। **मांगें नहीं मानीं तो भूख हड़ताल की चेतावनी-** आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा है कि उनकी शिकायतों पर जल्द सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना जारी रखते हुए आगे भूख हड़ताल शुरू करने पर विचार करेंगी। धरना पक्ष का दावा है कि सात दिन बीतने के बावजूद उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर चर्चा करने नहीं पहुंचा। **समाजवादी पार्टी से जुड़े स्थानीय नेताओं ने दिया समर्थन-** धरना पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी से जुड़े अब्दुल कय्यूम अंसारी, श्यामलाल झारिया, गुलजार सिंह मरकाम, पी.डी. खैरवार, कन्हैया पटैल, मंगल सिंह उईके, गोविंद धुर्वे और करम सिंह उईके सहित कार्यकर्ता धरना स्थल पहुंचे। क्षेत्रीय जनपद सदस्य हरेंद्र मसराम, सहजान परस्ते और सुखदेव मरावी सहित अन्य लोगों ने भी महिलाओं से मुलाकात की। **दूसरे पक्ष का सामने आना भी जरूरी-** महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और जिला प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। आरोपों की सत्यता, बकाया राशि, भुगतान का रिकॉर्ड और वसूली प्रक्रिया की पुष्टि दस्तावेजी जांच से होना जरूरी है।

वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

मंडला में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान के समर्थन में प्रदर्शन किया। यह रैली नेहरू स्मारक स्थित कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ी। कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले पुलिस ने रैली को बेरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई।

बस स्टैंड पर शाम 6 बजे होगा आयोजन, जनजागरूकता और जनभागीदारी का दिया जाएगा संदेश

सेवा संकल्प अभियान के तहत नारायणगंज में होगा नुक्कड़ नाटक



दैनिक रेवाँचल टाईम्स - नारायणगंज। ग्राम पंचायत पड़रिया उर्फ नारायणगंज के तत्वावधान में ह्लसेवा संकल्प अभियानह्व के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। पोस्टर के अनुसार कार्यक्रम बस स्टैंड, नारायणगंज में शाम 6 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों में जन-जागरूकता बढ़ाने, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े विषयों को संवाद एवं अभिनय के माध्यम से सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार अभियान के माध्यम से नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करने के साथ ही समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाने का संदेश दिया जाएगा। ऐसे नुक्कड़ नाटक जनसंवाद का प्रभावी माध्यम बनकर योजनाओं और सामाजिक संदेशों को सीधे लोगों तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में समस्त जनप्रतिनिधिगण, पंचायत पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायतवासी आमंत्रित किए गए हैं। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की है। आयोजकः ग्राम पंचायत पड़रिया उर्फ नारायणगंज, जनपद पंचायत नारायणगंज, जिला मंडला।



पेंशन के लिए एक साल से भटक रहे बैगा दंपती, रोजगार सहायक पर 5 हजार रुपये मांगने का लगा आरोप

धान बेचकर किराया जुटाकर पहुंचे जनपद कार्यालय



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। शासन द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं संरक्षित जनजातीय समुदायों के उत्थान और सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलने में कथित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिल्पा से सामने आया है। ग्राम पंचायत छिल्पा निवासी रेज्जु बैगा (65) और ईती बाई बैगा (62) का कहना है कि वे पिछले करीब एक वर्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए ग्राम पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को दोनों अपनी समस्या लेकर जनपद पंचायत अनूपपुर पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी व्यथा बताई। रेज्जु बैगा और ईती बाई ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत छिल्पा में पदस्थ रोजगार सहायक मोहन साहू द्वारा पेंशन दिलाने के नाम पर उनसे ?5 हजार की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वे अत्यंत गरीब हैं और शासन से मिलने वाले राशन के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे में पांच हजार रुपये की राशि जुटाना उनके लिए संभव नहीं है। हितग्राहियों ने बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद वे चावल-धान बेचकर आने-जाने का किराया जुटाते हुए करीब 20 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। हितग्राहियों के अनुसार, जब वे अपनी शिकायत लेकर जनपद पंचायत पहुंचे, उस समय जनपद पंचायत सीईओ जनसुनवाई के सिलसिले में अनूपपुर में मौजूद थे, जबकि पेंशन संबंधी कार्य देखने वाले संबंधित कर्मचारी के अवकाश पर होने की बात सामने आई। ऐसे में बैगा दंपती को तत्काल समाधान नहीं मिल सका। मीडिया कर्मियों ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें समझाइश दी और वापस उनके गृह ग्राम भेजा। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि एक वर्ष से पात्र हितग्राही पेंशन के लिए भटक रहे हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या का समय पर निराकरण क्यों नहीं किया गया? हालांकि रोजगार सहायक पर लगाए गए ?5 हजार मांगने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।



मिट्टी खुदाई के कार्य के दौरान नाली की दीवार गिरी, दबने से बीएसएनएल कर्मी की हुई मौत

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। तहसीलदार ब्योहारी गैलेक्सी नागपुरे ने बताया है कि ब्यौहारी थाना क्षेत्र में कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में बीएसएनएल कर्मी रामसेवक सोंधिया, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बोड़ाबाड़, रीवा की मृत्यु हो गई। मृतक लगभग 25 वर्षों से बीएसएनएल में कार्यरत थे तथा बीएसएनएल के कार्य के लिए रीवा से ब्यौहारी भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि रामसेवक सोंधिया सहित कुल तीन व्यक्ति रात्रि लगभग 2 बजे ब्यौहारी पहुंचे थे। अस्पताल के सामने लगभग दो मीटर गहरी खुदाई कर भूमिगत प्रकाशीय तंतु केबल को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान नाली की दीवार अचानक धसक गई, जिससे मिट्टी एवं मलबा रामसेवक सोंधिया के ऊपर गिर गया और वे उसमें दब गए। घटना के तत्काल बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों के अनुसार मृतक ने घटना वाले दिन रीवा में ड्यूटी की थी तथा इसके बाद उन्हें अचानक रात्रि में बीएसएनएल के कार्य के लिए ब्यौहारी भेजा गया था। बीएसएनएल द्वारा वाहन भेजकर परिजनों को मृतक के बीमार होने तथा ब्यौहारी में होने की सूचना दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमिगत प्रकाशीय तंतु केबल जोड़ने का कार्य ठेके के माध्यम से कराया जा रहा था। कार्य के ठेकेदार का नाम चतुवेर्दी बताया गया है, जो सतना निवासी बताए गए हैं। उन्होने बताया कि पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। घटना के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक जानकारी एवं परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

पशु तस्करी में पुलिस ने 12 पड़ा ट्रक सहित किया जब्त, मामला दर्ज



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जिले में अवैध गतिविधियों एवं पशु तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत थाना करनपठार/चौकी सरई पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक मिनी ट्रक में क्रूरतापूर्वक भैंस पड़वा पशुओं को भरकर अवैध रूप से जबलपुर बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो मुसलमान निवासी फरहदा के ईट भट्टा के पीछे रोड किनारे ट्रक में लोड 12 भैंस पड़ा, कीमती करीबन 04 लाख 80 हजार रुपए, ट्रक कीमती करीबन 15 लाख रुपए, कुल कीमती 19 लाख 80 हजार रुपए का मशरूका, आरोपी ट्रक चालक मोहम्मद अजीज पिता मोहम्मद इशाक निवास आजाद नगर मौहरिया थाना हनुमान ताल जिला जबलपुर के दस्तयाब होने पर, आरोपी ट्रक चालक से ट्रक में पशु परिवहन करने के वैध दस्तावेज चाहे गये जो मौके पर पेश नहीं किया गया। अपराध धारा 6 (क) (ख) 9,10 पशु परीक्षण अधिनियम 1959 तथा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 66/192,3/ 181,130/ 177(3) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 314/26 धारा 6(क) (ख) 9,10 पशु परीक्षण अधिनियम 1959 तथा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 66/192,3/ 181,130/ 177(3) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पाए जाने से पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। पशु तस्करी में अन्य व्यक्ति के संबंध में पता साजी कि विवेचना की जा रही है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल, कांग्रेस ने किया पैदल मार्च, कलेक्ट्रेट घेराव, राष्ट्रपति के नाम सौपा ज्ञापन

वाटर कैनन के बीच बैरिकेड तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनुपपुर। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची और मतदान व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर ने बुधवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निदेर्शानुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकताओं ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। एक व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनाकर प्रतीकात्मक रूप से बेड़ियों में जकड़ा गया और उसे सामतपुर तालाब से जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय तक पैदल मार्च में ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकताओं ने ह्यह्यवोट चोरी के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाईह्लह्ल सहित विभिन्न नारे लगाए और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। पैदल मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। प्रशासन द्वारा पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पार कर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम से प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की धज्जियां उड़ाते गिट्टी भरे हाइवा, घुनघुटी बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन मार्ग बना जानलेवा

आठ टन की सडक साठ टन पार



दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। घुनघुटी से अनूपपुर को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क, जिसे 8 टन तक के लोड और आम लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाया गया था, उसकी सूरत तुमी में स्थित क्रेशरों के ओवरलोड हाइवा ने पूरी तरह बदल दी है। सबसे अधिक खराब स्थिति घुनघुटी बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक लगभग 500 मीटर की सड़क की है। यही मार्ग घुनघुटी की लाइफ लाइन है, जहां से रोजाना सैकड़ों यात्री, बुजुर्ग, महिलाएं और विद्यालयों के नन्हें-मुन्ने बच्चे गुजरते हैं। जब बच्चे इस मार्ग से गुजरते हैं तो हर समय सिर पर संकट के बादल छाए रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि तुमी और आसपास स्थित क्रेशरों से गिट्टी भरकर निकलने वाले हाइवा, जिनकी पासिंग 8 से 10 टन है, उनमें 50 से 60 टन तक गिट्टी लादकर इसी संकरे मार्ग से दिन-रात बेधड़क दौड़ाए जा रहे हैं। ओवरलोड के कारण बस स्टैंड से स्टेशन तक की पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, न गिट्टी बची है, न डामर और न ही सीमेंट। सड़क के नाम पर सिर्फ बड़े-बड़े गड्ढे बचे हैं। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाने से हादसे का खतरा और बढ़ गया है। कई बाइक सवार इन गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। घनी आबादी वाले इस मार्ग पर तेज रफ्तार हाइवा बिना हॉर्न के दौड़ते हैं, धूल के गुबार से दुकानदार और राहगीर परेशान हैं।
अनूपपुर जिले में स्थित इस क्रेशर की वैधानिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खदान अनूपपुर में है, रॉयल्टी वहां कट रही है और उमरिया जिला को कुछ नही मिल रहा है, लेकिन सड़क के परखच्चे उमरिया के घुनघुटी में उड़ाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जानलेवा मार्ग पर गिट्टी भरे ओवरलोड हाइवा का प्रवेश तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।



यूनाइटेड कोल सर्वे कंपनी के सामने बौना हुआ प्रशासन, नियम विरुद्ध चल रही ड्रिलिंग मशीन

दो अधिकारियों के अलग-अलग बयान

दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। घुनघुटी जंगल में कोलकाता की यूनाइटेड कोल सर्वे कंपनी ने घुनघुटी के जंगलों में जड़ जमा ली है और बिना ग्राम पंचायत को सूचना दिए ही बोरिंग का काम धड़ल्ले से कर रही है। कंपनी अब भी रात के अंधेरे में 100 डेसिबल से अधिक आवाज वाली ड्रिल मशीन चला रही है, जिससे बाघ, तेंदुआ और भालू का सदियों पुराना प्राकृतिक कॉरिडोर टूट रहा है। वन विभाग का स्पष्ट आदेश है कि टाइगर कॉरिडोर में शाम 5 बजे के बाद किसी भी बड़ी मशीन का संचालन प्रतिबंधित है, क्योंकि रात में हिंसक वन्य जीवों की आवाजाही सबसे अधिक होती है। तेज आवाज और रोशनी से विचलित होकर बाघ अपना रास्ता बदलकर आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे मानव-वन्य जीव द्वंद्व का सीधा खतरा पैदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बिना ग्राम सभा की अनुमति के धड़ल्ले से बोरिंग कर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। वन परिक्षेत्राधिकारी घुनघुटी धर्मू सिंह इसे वन भूमि बताकर भोपाल से वैधानिक अनुमति होने की बात कह रहे हैं, तो अनुविभागीय अधिकारी वन दिगेंद्र सिंह इसे राजस्व भूमि बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि मौके पर कंपनी के मैनेजर के पास एक भी कागज नहीं मिला। न वन विभाग भोपाल की कथित अनुमति, न राजस्व की अनुमति और न ही पेसा के तहत ग्राम सभा की अनुमति। जब इस मामले में घुनघुटी हल्का पटवारी धेनू प्रसाद प्रजापति से दूरभाष पर राजस्व से अनुमति के संदर्भ में जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि "इस विषय में किसी भी राजस्व अधिकारियों के द्वारा हमसे प्रतिवेदन नहीं लिया गया।" पटवारी के इस बयान के बाद यह तय हो गया कि कंपनी के पास न वन की अनुमति है और न राजस्व की। ग्रामीणों ने कलेक्टर उमरिया और वन मंडलाधिकारी उमरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सबसे पहले भोपाल से मिली कथित अनुमति को सार्वजनिक किया जाए।

पुलिया निर्माण कार्य में अनियमितता का लगा आरोप, उपसरपंच ने सीईओ से की शिकायत, जाँच की मांग

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। जनपद पंचायत गोहपारू अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा के वार्ड क्रमांक 01 में पुलिया निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के उपसरपंच नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर जांच की मांग की है। शिकायत में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, भूमि, भुगतान और संबंधित अभिलेखों की जांच कराने का आग्रह किया गया है। शिकायत पत्र के अनुसार, वार्ड क्रमांक 01 में ह्लमहाभारत के खेत के पासह्ल 5वें वित्त मद से लगभग 10 लाख रुपये की लागत से पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। उपसरपंच ने पत्र में बताया कि उक्त कार्य ग्राम पंचायत से बाहर के ठेकेदार द्वारिका सोनी एवं जैसा नायक द्वारा कराया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि कार्य के लिए खसरा क्रमांक 55 दशार्या गया है, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में ह्लझुरपी जंगलह्ल दर्ज होने का उल्लेख है, जबकि मौके पर निर्माण खसरा क्रमांक


कार्यालय - ग्राम पंचायत सेमरा
जनपद पंचायत-गोहपारू, जिला-शहडोल (म.प्र.)
नरेंद्र प्रसाद मिश्रा
उप सरपंच
Mobile: 8770765756
दिनांक : 22/09/2026
सेवा में,
श्री मान
मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
जनपद पंचायत गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)
विषय: पुलिया निर्माण कार्य की जांच हेतु शिकायत।
महोदय,
ग्राम पंचायत सेमरा के वार्ड क्रमांक 01 में "महाभारत के खेत के पास" 5वें वित्त मद से लगभग ₹10 लाख की लागत से पुलिया निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारिका सोनी एवं जैसा नायक, जो ग्राम पंचायत से बाहर के ठेकेदार हैं, द्वारा कराया जा रहा है।
कार्य में खसरा क्रमांक 55 दर्शाया गया है, जिसमें शासकीय रिकॉर्ड में "झुरपी जंगल" दर्ज है, जबकि मौके पर निर्माण खसरा क्रमांक 56 की निजी भूमि पर कराया जा रहा है। उक्त स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय रास्ता दर्ज नहीं है, जिसकी जांच आवश्यक है।
उक्त कार्य में लगभग ₹5.27 लाख की राशि आहरित की जा चुकी है तथा सभी बिल लगाकर राशि निकाले जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही श्रमिकों (लेबर) का भुगतान नहीं किया जाने तथा लेबर मद में नियमानुसार भुगतान नहीं होने की शिकायत है। इस संबंध में लेबर भुगतान, मस्टर रोल एवं संबंधित अभिलेखों की जांच की जाए।
मद्द भी शिकायत है कि सरपंच एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से कार्य कराया जा रहा है। अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता, स्थल, भुगतान एवं संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अतः निवेदन है कि स्थल निरीक्षण, सीमांकन तथा प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका (एम.बी.), भुगतान एवं राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जाए तथा यदि कोई अनियमितता पाई जाए तो नियमानुसार कार्यवाई करते हुए शासकीय राशि की वसूली की जाए।
भवदीय
नरेंद्र प्रसाद मिश्रा
उप सरपंच

56 की निजी भूमि पर कराए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में राजस्व अभिलेखों की जांच की मांग की है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य में करीब 5.27 लाख रुपये की राशि आहरित की जा चुकी है और सभी बिल लगाए जाने के बाद राशि निकाले जाने की जानकारी मिली है। साथ ही श्रमिकों को मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत भी की गई है। उपसरपंच ने लेबर भुगतान, मस्टर रोल और संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में सरपंच और ठेकेदारों की मिलीभगत से कार्य कराए जाने का आरोप लगाते हुए निर्माण की गुणवत्ता, स्थल, भुगतान तथा दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उपसरपंच ने स्थल निरीक्षण, सीमांकन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, एमबी पुस्तिका, भुगतान और राजस्व अभिलेखों की जांच कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई कर शासकीय राशि की वसूली की मांग की है।

अवैध मदिरा के विरुद्ध की कार्रवाई, 27.72 लीटर मदिरा जप्त

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनुपपुर। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, धारण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी खेमराज श्याम के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सम्पतिया मरावी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 28 सितंबर 2026 को वार्ड क्रमांक 15 ग्राम पयारी, ग्राम घाठा एवं ग्राम अल्हवार में तलाशी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने 06 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 07.92 बल्क लीटर स्प्रिट एवं 13.8 बल्क लीटर माल्ट विदेशी मदिरा बरामद की। इस प्रकार कुल 27.72 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक प्रकरण कायम किए गए। कार्रवाई में मुख्य आरक्षक श्री विक्रांत नामदेव, महबूब अहमद खान तथा आरक्षक अमृतलाल साकेत एवं रमाकांत सिंह बैस उपस्थित रहे। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, धारण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

संपादकीय

मंत्री मारे थप्पड़

यह लोकतंत्र है या कोई गुंडा-मवाली राज है? क्या कोई मंत्री, जनता के बीच, शिकायतों के माहौल में, किसी युवक को सरेआम थप्पड़ मार सकता है? क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मंत्री के सामने, मंत्री के परिवार को, गालियां देने का दुस्साहस कर सकता है? दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने आवेश में आकर एक युवक को थप्पड़ मारा है। यह संज्ञेय और दंडनीय अपराध है, लेकिन चौतरफा राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस ने शिकायत तो दर्ज की है, लेकिन वह गैर-संज्ञेय अपराध सूचना (एनसीआर) ही है, जो महज खानापूर्ति है। आम आदमी पार्टी (आप) के जिस विधायक जरनैल सिंह ने सडक निर्माण में भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ कर मंत्री जी के सामने सब कुछ बेपरदा कर दिया था, उनके खिलाफ भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मंत्री ने विधायक पर ही 50 लाख रुपए की कमीशन मांगने का आरोप चस्पां कर दिया है और विभाग के इंजीनियर से पुलिस में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। वह प्राथमिकी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मंत्री प्रवेश वर्मा की सफाई है कि जब इंजीनियर और ठेकेदार ने घूस देने से साफ इंकार कर दिया, तो आप विधायक ने सडक उखाड़ कर साबित करने की कोशिश की कि देश की राजधानी दिल्ली में सडकों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता खस्ताहाल है। मंत्री जी! आप झूठ बयां कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की बारिश सारी पोल खोल देती है। सडकों की गुणवत्ता ही खस्ताहाल नहीं है, बल्कि गहरे, खुले गड्ढे भी हैं, जो मौत के कुएं साबित हो रहे हैं। और फिर विधायक जरनैल सिंह ने अपने हाथों से सडक के टुकड़े उखाड़ कर मंत्री के सामने रखे थे,उन पर संबद्ध अधिकारियों और ठेकेदार को तलब क्यों नहीं किया गया? इंजीनियर को तुरंत निलंबित क्यों नहीं किया गया? विधायक ने तो काले, कुरूप सच को नंगा कर दिया था। क्या दिल्ली सरकार ऐसे ठेकेदारों को भी संरक्षण दे रही है? बहरहाल विधायक के सहयोगी युवक ने उखड़ी सडक का वीडियो बनाया, तो उसे थप्पड़ रसीद कर दिया गया! क्या नए भारत की, नई भाजपा की, यही नई संस्कृति और राजनीति है? दरअसल प्रवेश वर्मा की फितरत और व्यवहार ही ऐसा है। जब वह यमुना के पानी और सफेद झाग वाले प्रदूषण का मुआयना करने गए थे, तब उन्होंने एक आला अधिकारी को, सभी के सामने, बुरी तरह फटकार लगाई थी। वह थप्पड़ से भी करारा दुर्व्यवहार था। यही नहीं, पंजाब में भाजपा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को थप्पड़ मारने वाले फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है, तो क्या ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक माना जा सकता है? अर्द्धराज्य दिल्ली ने विधानसभा के लिए केजरीवाल की आप के खिलाफ जनादेश दिया था, तो कुछ अपेक्षाएं थीं, कुछ उम्मीदें और आकांक्षाएं थीं, कमोबेश जनता या किसी भी नागरिक को थप्पड़ मारने का जनमत नहीं दिया गया था। विवश भी नहीं किया जा सकता। मौजूदा संदर्भ में विधायक ने घूस मांगी या नहीं, आप के युवा कार्यकर्ता ने मंत्री के परिवार को गालियां दीं या नहीं, ये सभी जांच के विषय हैं। यदि दिल्ली पुलिस तटस्थ, गंभीर होकर जांच करेगी, तो निश्चित रूप से काला यथार्थ सामने आएगा, लेकिन हमें लगता नहीं कि पुलिस मंत्री के खिलाफ कुछ जांच करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। गृहमंत्री अमित शाह अपनी ही पार्टी की सरकार के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? इतने नीर-क्षीर विवेकी नहीं हैं केंद्रीय गृहमंत्री! सवाल तो यह भी है कि यदि विधायक जरनैल सिंह ने इंजीनियर, ठेकेदार से कमीशन मांगी थी, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में पहले ही केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? मंत्री ने अधिकारियों को आदेश क्यों नहीं दिए? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से आग्रह क्यों नहीं किया? क्या भाजपा की सियासत यही है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस संदर्भ में सही ही लगते हैं कि यह सत्ता का ऐसा चेहरा है, जिसे वोटर का डर नहीं है। सत्ता से सवाल करोगे, तो इसी तरह थप्पड़ रसीद किए जाते रहेंगे। विपक्ष इस विषय पर लामबंद हो रहा है। वह आंदोलने छेड? के मूड में है। किसी भी नेता को किसी अन्य व्यक्ति को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। इस मामले में सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है। इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। दोबारा इस तरह की हरकत न हो, इसके लिए जरूरी है कि दोषी नेता पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नेता लोग अगर अपनी सीमाओं को उल्लंघन करेंगे, तो सियासत में बुराई का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा।

पाकिस्तान के बेतूके सवाल: भारत के सटीक जबाव

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को महासभा में सटीक, तीक्ष्ण एवं प्रभावी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक ह्यसीरियल प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्मह्न ने एक दिन पहले तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया और आतंकवाद को सामान्य बनाने तथा उसके परिणामों से बचने का प्रयास किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर वही पुराने सवाल सामने आए, जिनका समाधान दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वां अधिवेशन 8 सितंबर 2026 से शुरू हुआ और इसकी सामान्य बहस 22 से 26 सितंबर के बीच हुई। इस वर्ष की बहस का घोषित केंद्रीय विषय था- विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन करना और ऐसी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था बनाना जो सभी के लिए प्रभावी हो। ऐसे समय में जब दुनिया युद्धों, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रही है, यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण एशिया कब पुराने विवादों के चक्र से बाहर निकलेगा।



भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को महासभा में सटीक, तीक्ष्ण एवं प्रभावी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक ह्यसीरियल प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्मह्न ने एक दिन पहले तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया और आतंकवाद को सामान्य बनाने तथा उसके परिणामों से बचने का प्रयास किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को उजागर करने और उन पर कार्रवाई की आवश्यकता भी रेखांकित किया। इसके एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने के निर्णय की आलोचना की। पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जबकि भारत की ओर से पाकिस्तान के सीमा-पार आतंकवाद संबंधी रुख पर सवाल उठाए गए। पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने भी भारत पर आतंकवाद और कश्मीर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का मंच एक बार फिर दोनों देशों के पारस्परिक आरोप-प्रत्यारोप का साक्षी बना। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन आरोपों के बाद भी समाधान की दिशा में कितना रास्ता तय हुआ?पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आतंकवाद को लेकर उसकी नीति का है। भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की धरती से या उसके संरक्षण में सक्रिय आतंकी नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जयशंकर ने इसी संदर्भ में कहा कि आतंकवाद और मित्रता साथ-साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद के कर्ता को अपना रास्ता बदलना होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत पर भी आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता है और अपने यहां होने वाली हिंसक घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। इन परस्पर आरोपों की सच्चाई और प्रमाण अलग-अलग मामलों में जांच का विषय हो सकते हैं, लेकिन इतना निर्विवाद है कि पाक आतंकवाद को पोषित कर भारत की शांति का भंग करता रहा है, इन आतंकी घटनाओं ने दोनों देशों की जनता को भारी मानवीय, आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। तो फिर सवाल उठता है-पाकिस्तान आखिर कब यह स्वीकार करेगा कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र की स्थायी विदेश नीति नहीं बन सकता? आतंकवाद यदि किसी देश के लिए रणनीतिक साधन बनता है तो अंततः वही साधन उस देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए भी समस्या बन सकता है। पाकिस्तान स्वयं लंबे समय से आतंकवादी हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में उसके सामने यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह आतंकवाद के प्रश्न को केवल भारत-विरोधी दृष्टिकोण से न देखकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के संदर्भ में भी देखे। आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई केवल किसी दूसरे देश की मांग पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न कश्मीर का है। पाकिस्तान ने इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन लगभग आठ दशक से चली आ रही इस बहस ने यह साबित कर दिया है कि केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होता। कश्मीर के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ता है, सुरक्षा तनाव पैदा होता है और दोनों देशों की विकास प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता चाहता है, तो उसे यह विचार करना होगा कि कश्मीर को अपनी विदेश नीति के स्थायी केंद्र में रखकर वह अपने नागरिकों के भविष्य के लिए क्या हासिल कर रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का उल्लेख करना और घरेलू समस्याओं को पीछे छोड़ देना किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। तीसरा और शायद सबसे गंभीर प्रश्न पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां के आम नागरिक की जिंदगी का है। महंगाई, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे किसी भी सरकार के लिए मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। विदेश नीति तभी सार्थक होती है जब उसका अंतिम उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना हो। पाकिस्तान के लिए यह समय इस बात पर गंभीरता से विचार करने का है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ राजनीतिक और कूटनीतिक अभियान चलाने की तुलना में उसकी जनता की आर्थिक आवश्यकताओं, संस्थागत स्थिरता और मानव विकास पर अधिक ऊर्जा लगाना कितना आवश्यक है।यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत-पाक संबंधों को केवल आरोप-प्रत्यारोप के चश्मे से न देखा जाए। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं और किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की बात कही। लेकिन इसी के साथ क्षेत्रीय शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता और संवाद की संभावनाओं के बीच संतुलन खोजा जाए। संवाद तभी सार्थक हो सकता है जब हिंसा और आतंकवाद के प्रश्न पर स्पष्टता हो। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि दुनिया आज केवल बयान नहीं सुनती, बल्कि नीतियों और व्यवहार को भी देखती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मूल उद्देश्य ही बहुपक्षीय संवाद, शांति और सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराना है। यदि इस मंच का इस्तेमाल एक-दूसरे के विरुद्ध आरोपों को दोहराने में ही होता रहे, तो दोनों देशों के नागरिकों को उससे क्या हासिल होगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी हैं। इसलिए इनके बीच तनाव केवल द्विपक्षीय समस्या नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है।

आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा आत्ममंथन यही होना चाहिए कि वह अपने भविष्य को किस आधार पर निर्मित करना चाहता है-पुराने विवादों, कश्मीर-केंद्रित राजनीति और आतंकवाद के आरोपों के आधार पर या आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार, संस्थागत मजबूती और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर? भारत के सामने भी चुनौती यही है कि सुरक्षा से समझौता किए बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की संभावनाओं को खुला रखा जाए। पाकिस्तान कब बदलेगा, इसका उत्तर कोई दूसरा देश नहीं दे सकता। परिवर्तन अंततः पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत निर्णयों और नीति-निमार्ताओं पर निर्भर करेगा। लेकिन दिशा स्पष्ट है-आतंकवाद को किसी भी रूप में राजनीतिक साधन न बनने देना, अपनी जनता की आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देना, कश्मीर के नाम पर लगातार टकराव की नीति से आगे बढ़ना और पड़ोसियों के साथ संबंधों को हिंसा के बजाय विश्वास तथा पारस्परिक सम्मान के आधार पर विकसित करना। यदि पाकिस्तान यह रास्ता चुनता है तो उसका लाभ केवल भारत को नहीं, स्वयं पाकिस्तान के नागरिकों और पूरे दक्षिण एशिया को मिलेगा। और यदि वह पुराने रास्ते पर ही चलता रहा, तो सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया से अधिक उसके अपने नागरिकों के सामने खड़ा होगा-आखिर कब तक अतीत की राजनीति भविष्य की पीढ़ियों का वर्तमान तय करती रहेगी?

राशिफल

मेष राशि :- बचैनी, उद्विघ्नता से बचिये, समय पर सोचे कार्य अवश्य ही बन जायेंगे।

वृष राशि :-चिन्ताएह कम हों, सफलता के साधन जुटायें, अचानक लाभ के योग अवश्य ही बनें।

मिथुन राशि :- सफलता के साधन जुटायें, व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि अवश्य ही होगी।

कर्क राशि :- व्यर्थ धन का व्यय, समय व शांति नष्ट होवे, विघटनकारी तत्व परेशान करें।

ासिंह राशि :- भोग-ऐश्वर्य में वृद्धि, स्वास्थ्य नरम रहे, विद्यार्थी जीवन आपके लिये परेशानी का हो।

कन्या राशि :- समय व धन नष्ट हो, क्लेश व अशांति, यात्रा से कष्ट व चिन्ता अवश्य बने।

तुला राशि :- परिश्रम से सफलता के साधन अवश्य जुटायें, कार्य बाधा, कार्य अवश्य हो।

वृश्चिक राशि :- चोटादि से बचिये, भाग्य का सितारा बड़ा ही प्रबल होगा।

धनु राशि :- क्लेश व अशांति से बचिये, मानसिक उद्विघ्नता होगी, समय का ध्यान दें।

मकर राशि :- परिश्रम विफल हो, चिन्ता व यात्रा, व्याग्रता, स्वास्थ्य नरम रहे।

कुंभ राशि :- आकस्मिक घटना से चोटादि का भय होगा, समय का ध्यान रखें।

मीन राशि :- अधिकारियों से कष्ट, इष्ट मित्र सहायक न होवे, समय का साथ होगा।

चेहरा चमकाने के चक्कर में कहीं त्वचा खराब तो नहीं कर रहीं? इन फेस पैक से रहें सावधान

अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए हम सभी कई तरीके आजमाते हैं। इनमें फेस पैक लगाना बेहद ही पॉपुलर है। अमूमन यह देखने में आता है कि जब हम कई बार फेस पैक इस्तेमाल करते हैं, तो चेहरा एकदम से चमकने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद चेहरा रूखा लगने लगा, त्वचा में खिंचाव, हल्की जलन या रेडनेस दिखाई देने लगती है। ऐसे में मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि जो चीज चेहरे को इतना निखार रही थी, वही बाद में त्वचा को खराब क्यों करने लगती है। हो सकता है कि आपने भी इस स्थिति का सामना किया हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में-



चेहरे पर तुरंत निखार कैसे आ जाता है?

सबसे पहले यह समझते हैं कि फेस पैक लगाने के बाद चेहरे पर तुरंत निखार क्यों आता है। दरअसल, फेस पैक लगाने के बाद जब त्वचा से अतिरिक्त तेल और ऊपर जमा डेड स्किन सेल्स हटती हैं, तो चेहरा कुछ समय के लिए ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई दे सकता है। वहीं, कुछ फेस पैक त्वचा से अतिरिक्त चिकनाई सोख लेते हैं। इससे चेहरा कम तैलीय और ज्यादा साफ नजर आता है। यही वजह है कि कई बार फेस पैक लगाने के तुरंत बाद हमें लगता है कि त्वचा का रंग भी निखर गया है।

नींबू वाला पैक नहीं है सही

चेहरे को जल्दी निखारने के लिए नींबू का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सीधे नींबू का रस चेहरे पर लगाना हर किसी की त्वचा के लिए ठीक नहीं होता। इससे कुछ लोगों को जलन, रूखापन या लालिमा हो सकती है। साथ ही, धूप के संपर्क में आने के बाद स्किन सेंसेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए केवल यह सोचकर कि नींबू प्राकृतिक है और त्वचा को निखार देगा, उसे सीधे चेहरे पर लगाना सही नहीं है।

जरूरत से ज्यादा बेसन नहीं

स्किन केयर में बेसन काफी पॉपुलर होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर बेसन का लेप बहुत बार लगाया जाए या उसे त्वचा पर बहुत देर तक छोड़ दिया जाए, तो कुछ लोगों की त्वचा रूखी हो सकती है। खासकर जिनकी त्वचा पहले से ही सूखी या सेंसेटिव है, उन्हें बेहद ही सोच-समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

मुल्तानी मिट्टी जरा संभलकर

जब फेस पैक की बात हो तो मुल्तानी मिट्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद चेहरा साफ, ताजा और कम तैलीय दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि तैलीय त्वचा वाले लोग इसे काफी पसंद करते हैं। लेकिन मुल्तानी मिट्टी त्वचा से तेल सोखती है। इसलिए अगर आपकी त्वचा पहले से सूखी है या आप इसे बहुत बार लगाते हैं, तो त्वचा में जरूरत से ज्यादा रूखापन आ सकता है।

एथनिक लुक के लिए ट्रेंडी हेयर एक्सेसरीज



खूबसूरत, लंबे और घने बाल हमारी खूबसूरती को दोगुना करने का काम करते हैं। खासकर फेस्टिव सीजन में सिल्की, घने और लंबे बाल एथनिक लुक को परफेक्ट बनाते हैं। वहीं बालों की खूबसूरती तब और ज्यादा निखरकर आती है, जब आप उनके साथ कुछ मैचिंग और लेटेस्ट हेयर एक्सेसरीज जोड़ती हैं। मेकअप, आउटफिट्स और ज्वेलरी को लगभग हर कोई कैरी करता है। लेकिन महिलाएं हेयर एक्सेसरीज को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहती हैं। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन आप भी एथनिक लुक के साथ सही हेयर एक्सेसरीज चुनकर अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं।

मार्केट में आपको कई तरह की मॉर्डन और पारंपरिक हेयर एक्सेसरीज मिल जाएंगी। जिनको आप फेस्टिव सीजन में रॉयल लुक पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको 3 ट्रेंडी हेयर एक्सेसरीज के बारे में बताने जा रहे हैं।

कुंदन और मोतियों वाली शीशपट्टी या माथा पट्टी : आजकल शीशपट्टी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस फेस्टिव सीजन आप भी इस तरह की कुंदन और मोतियों वाली शीशपट्टी या माथा पट्टी को कैरी कर अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं। इसको बालों में लगाना काफी आसान होता है। यह माथे के साथ-साथ पूरे फेस की खूबसूरती को निखार देता है। **जानें कैसे करें स्टाइल :** पोलकी, कुंदन और बारीक मोतियों से बनी यह माथा पट्टी खुले बालों पर काफी अच्छी लगती है। आप इसको साड़ी, लहंगे या राजपूती पोशाक के साथ पेयर कर सकती हैं।

गजरा पिन और फ्लोरल हेयर क्लिप्स : फूलों वाला गजरा लगभग हर महिला की पहली पसंद बना है। अपने लुक को खास और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप आर्टिफिशियल या फैब्रिक गजरा क्लिप्स यूज कर सकती हैं। इससे आपके बालों की खूबसूरती दोगुनी हो जाएगी।

जानें कैसे करें स्टाइल : हाफ-अप हेयरस्टाइल या ट्रेडिशनल मेसी बन बनाकर गजरा क्लिप्स को अपने बालों में लगा सकती हैं। इसको आप बनारसी साड़ी, इंडो-वेस्टर्न और कांजीवरम साड़ी के साथ पेयर कर सकती हैं।

गोटा-पट्टी और मोतियों वाली परांदी : फेस्टिव सीजन में सुनहरी लटकन, शीशे, गोटा-पट्टी और रंग-बिरंगे मोतियों से सजी ट्रेंडी परांदी काफी ट्रेंड में रहती है। वहीं आप फेस्टिव सीजन में अपने लुक को खास बनाने के लिए गोटा-पट्टी और मोतियों वाली परांदी कैरी कर सकती हैं। तीन लेयर वाली गूंथी चोटी के निचले हिस्से में इसको लगाकर अपने लुक को कंप्लीट करें। इससे आपकी चोटी की लंबाई भी बढ़ जाएगी। **जानें कैसे करें स्टाइल :** सागर चोटी, थ्री लेयर वाली गूंथी चोटी और खजूर चोटी के साथ भी पेयर कर सकती हैं।

इसको आप शरारा, पंजाबी सूट या हैवी लहंगा चोली के साथ पेयर कर सकती हैं।

इन हेयर एक्सेसरीज को करें पेयर : इन एक्सेसरीज को पेयर करने से आपके बालों की खूबसूरती बढ़ने के साथ इसके अन्य फायदे भी मिलेंगे।

सुबह खाली पेट हरी इलायची चबाने से सुधरेगा पाचनतंत्र



क्या आपको इलायची खाना पसंद है, तो बढ़िया है यदि नहीं, तो अभी से इलायची खाना शुरू कर दें। सुबह-सुबह खाली पेट इलायची चबाने से दिन की अच्छी शुरूआत मानी जाती है। दरअसल, छोटी-सी दिखने वाली इलायची सिर्फ चाय या मिठाई में खुशबू बढ़ाने के काम नहीं आती है बल्कि इसमें कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड पाएं जाते हैं, जो डाइजेशन से संबंधित समस्याओं को ठीक करते हैं।

रोज सुबह एक इलायची खाने के क्या फायदे हैं?

गैस की समस्या हो या फिर पेट फूलना या खाना खाने के बाद भारीपन जैसे दिक्कतें हो, इलायची का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप रोजाना हरी इलायची खाना शुरू करेंगी, तो आपको मिलेंगे जबरदस्त फायदे।

गैस और पेट के भारीपन को कम करने में मदद करती है इलायची

बार-बार आपका पेट फूलता है या गैस की परेशानी रहती है, तो इलायची आपको राहत दिलाने का काम करता है। इसमें सिनेओल और टार्पिनिल एसीटेट जैसे एक्टिव वॉलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। इन कंपाउंड्स का कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स को रिलैक्स करने से हैं। वहीं, इलायची में एंटीस्पास्मोडिक भी पाया जाता है। यह पेट में जमा गैस और हवा को बाहर निकालता है। रोजाना सुबह इसे लेने से पेट संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है।

शरीर की सूजन कम करना और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालना

असल में इलायची एक प्रकार से दवा की तरह कार्य करती है, जो कि शरीर से पेशाब के रास्ते एक्स्ट्रा पानी और नमक को बाहर निकालने में मदद करती हैं। सबसे जरुरी बात यह है कि इससे शरीर को जरुरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होता है। यदि आपके शरीर में सूजन हैं या वॉटर रिटेंशन की दिक्कत है, तो आप इलायची खा सकती हैं। यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है।

खाना पचाने में कर सकती है मदद

मिठाईयों से लेकर बिरयानी जैसी डिशेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यह स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि लिवर से बाइल निकलने की प्रॉसेस को भी ठीक करता है। बाइल खाने को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया में मदद करता है।

मुंह की बदबू और दांतों के लिए फायदेमंद

जब आप खाना खाएं तो उसके बाद इलायची को जरुर चबाएं। ऐसा करने से मुंह की बदबू दूर होती है। वहीं, इलायची में ऐसे गुण होते हैं, जो दांतों में कीड़ा (कैविटी) और गंदगी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हटाते हैं। इसलिए इलायची सिर्फ माउथ फ्रेशनर ही नहीं बल्कि आपके मुंह और दांतों की सेहत के लिए बढ़िया हैं।



जाम पंचायत में जांच को लेकर सवाल—अधिकारियों की जगह 'मनीराम' तो नहीं करेगा पड़ताल?

आवास की जांच होगी या पंचायत के कामों की भी खुलेगी फाइल?







दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी - ग्राम पंचायत जाम में आवास योजना के हितग्राहियों की जांच किए जाने की तैयारी के बीच अब ग्रामीणों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या जनपद पंचायत बरघाट की जांच केवल आवास हितग्राहियों तक सीमित रहेगी या पंचायत में कराए गए अन्य कार्यों की भी निष्पक्ष पड़ताल होगी? ग्राम पंचायत जाम में पूर्व में पंचायत द्वारा कराए गए मूत्रालय निर्माण कार्य को लेकर कथित अनियमितता का मामला समाचारों में सामने आ चुका है।

आरोप लगाया गया था कि पुराने मूत्रालय पर रंग-रोगन तथा कुछ ईंट, रेत, गिट्टी आदि का काम कराए जाने के बाद नए निर्माण के नाम पर बिल निकाला गया। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि यदि जनपद के अधिकारी जांच के लिए पंचायत पहुंच रहे हैं तो इस मामले की भी मौके पर जांच होनी चाहिए। जांच के दौरान केवल कागजी रिकॉर्ड देखने के बजाय मौके का भौतिक सत्यापन, कार्य की स्थिति, बिल-वाउचर, माप पुस्तिका, सामग्री खरीदी और भुगतान संबंधी दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविकता सामने आ सके।

सरपंच की जगह पति के कामकाज के आरोप, अब जांच पर भी सवाल

ग्रामीणों द्वारा पूर्व में यह आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि पंचायत में सरपंच की जगह सरपंच पति ही कामकाज संभालते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में वीडियो भी उपलब्ध है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है, लेकिन अब इसी संदर्भ में ग्रामीण व्यंग्यात्मक सवाल उठा रहे हैं। ह्लजिस तरह पंचायत में सरपंच की जगह उनके पति काम करते बताए जाते हैं, उसी प्रकार कहीं जांच के दौरान जनपद के अधिकारियों की जगह ह्यमनीरामह्न तो काम नहीं करेगा? ग्रामीणों का आशय है कि जांच वास्तव में मौके पर पहुंचकर अधिकारी स्वयं करेंगे या फिर पहले से तैयार रिपोर्ट के आधार पर औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। यहां ह्यमनीरामह्न किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि ग्रामीणों की आशंका को व्यंग्यात्मक रूप से व्यक्त करने वाला काल्पनिक नाम है।

सवाल आवास से आगे पंचायत के कामों तक

ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच हो रही है तो उसे केवल आवास हितग्राहियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। पंचायत में पूर्व में कराए गए निर्माण कार्यों और उनके भुगतान की भी जांच होनी चाहिए। खासकर मूत्रालय निर्माण को लेकर लगाए गए आरोपों में पुराने निर्माण और नए कार्य के नाम पर किए गए भुगतान का भौतिक सत्यापन जांच का अहम हिस्सा होना चाहिए। अब देखना यह है कि जनपद पंचायत बरघाट के अधिकारी वास्तव में मौके पर पहुंचकर स्वतंत्र जांच करते हैं या जांच महज कागजी औपचारिकता बनकर रह जाती है। ग्रामीणों की निगाहें जांच दल की कार्रवाई और सामने आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।



ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद

कार्रवाई पर सवाल, ब्लास्टिंग से परेशानी और जलस्तर घटने का आरोप

क्रेशर पर कार्रवाई नहीं खनिज विभाग में 'गांधी' का बोलबाला?

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिले के रघादेही ग्राम में संचालित कथित अवैध क्रेशर को लेकर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पूर्व सरपंच उदयलाल चंद्रवंशी एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर क्रेशर बंद कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद संबंधित खनिज विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से क्रेशर का संचालन जारी है। पूर्व सरपंच उदयलाल चंद्रवंशी के अनुसार क्रेशर में पत्थर तोड़ने के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से आसपास के घरों में कंपन महसूस होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा क्षेत्र में पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है। चंद्रवंशी ने बताया कि पूर्व में क्रेशर बंद किया गया था, लेकिन बाद में इसके दोबारा संचालित होने की बात सामने आई है।

विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि क्रेशर के संचालन को लेकर ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं तो खनिज विभाग द्वारा अब तक क्या जांच और कार्रवाई की गई? क्रेशर की अनुमति, खनिज उत्खनन, पर्यावरणीय स्वीकृति और ब्लास्टिंग संबंधी नियमों की जांच हुई या नहीं, यह भी स्पष्ट होना बाकी है। ग्रामीणों के बीच कार्रवाई नहीं होने को लेकर तरह-तरह की चचाएं हैं। इसी को लेकर व्यंग्यात्मक सवाल उठ रहा है कि ह्लक्रेशर पर कार्रवाई नहीं, क्या खनिज विभाग में ह्यगांधीह्न का बोलबाला है?ह्व हालांकि यह महज सवाल और व्यंग्य है; किसी अधिकारी या कर्मचारी पर रिश्वत लेने का प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया जा रहा है। वास्तविक स्थिति विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। पूर्व सरपंच ने चेतावनी दी है कि यदि क्रेशर बंद नहीं किया गया और ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और मौके की जांच के बाद क्या कार्रवाई करते हैं।

शासकीय कन्या महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर हुआ कार्यक्रम

अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं, छात्राओं को दिया कैरियर मार्गदर्शन

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिवनी में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के अवसर पर ह्लअनुवाद के क्षेत्र में वर्तमान कैरियर एवं रोजगार के अवसरह्व विषय पर कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओमप्रकाश सरवैया एवं कैरियर प्रभारी प्रो. लक्ष्मी मेश्राम के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को अनुवाद के क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान कैरियर संभावनाओं, रोजगार के अवसरों तथा अनुवाद कौशल के व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराना रहा। विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों ने छात्राओं को अनुवाद के क्षेत्र में विकसित हो रही संभावनाओं और रोजगारपरक कौशल के संबंध में उपयोगी जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डॉ. ओमप्रकाश सरवैया ने कहा कि बदलते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप विद्यार्थियों को भाषा-कौशल के साथ तकनीकी दक्षता एवं व्यावसायिक क्षमता विकसित करनी चाहिए।



उन्होंने अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद की उपयोगिता तथा अनुवाद कौशल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर निर्माण की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उर्दू विभाग के प्राध्यापक डॉ. मोहम्मद राशिद खान ने अनुवाद के क्षेत्र में वर्तमान रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के बीच बढ़ती अनुवाद आवश्यकता तथा भाषा ज्ञान को रोजगारपरक कौशल के रूप में विकसित करने के महत्व को समझाया। हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉ. हेमराज नागवंशी ने अनुवाद के महत्व एवं व्यापक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रो. अलका उईके, डॉ. समिता शर्मा एवं श्रीमती आयशा सिद्दीका की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को बहुभाषिक दक्षता, प्रभावी संप्रेषण एवं अनुवाद कौशल के माध्यम से रोजगार और कैरियर निर्माण की संभावनाओं की जानकारी मिली। अंत में उपस्थित प्राध्यापकों एवं छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

संघ के लेटरपैड पर विज्ञप्ति जारी कर पेंशन संबंधी मांगों के निराकरण का किया था निवेदन

पेंशनर संघ की पहल पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उठाया कदम, अशोक वर्मा और अरुण सैनी ने जताया आभार

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण को लेकर पेंशनर संघ के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय सचिव अरुण सैनी द्वारा संघ के लेटरपैड पर विज्ञप्ति जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी से पेंशन संबंधी मांगों को पूरा करने का निवेदन किया गया था। संघ द्वारा उठाई गई समस्या पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सकारात्मक पहल करते हुए 30 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सिवनी कार्यालय में पेंशन, पेंशन अनुमोदन एवं अन्य संबंधित कार्यों के समय-सीमा में निराकरण के लिए देवेश हुनवत, सहायक ग्रेड-2 एवं हीरा लाल सनाड्य, सहायक ग्रेड-2 को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस कदम पर पेंशनर संघ के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय सचिव अरुण सैनी ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए की गई यह प्रशासनिक व्यवस्था सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण है। संघ की ओर से उम्मीद जताई गई है कि इस व्यवस्था से लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।



सिवनी में खेत में महिला की लाश मिली:पैर के पास काले रंग के निशान, करंट लगने की आशंका

सवनी जिले के कुरई थाना इलाके में ग्राम सातोशा बुधवार शाम करीब 4 बजे मक्के के खेत में महिला की लाश मिली। पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल के बाद शव को अपने कब्जे में लिया। बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि सातोशा गांव में मक्के के खेत में महिला का शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर जाकर छानबीन की और जरूरी सबूत जुटाए। शुरूआती जांच में लग रहा है कि महिला स्थानीय निवासी न होकर कहीं बाहर की रहने वाली है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है।

पैर पर काले निशान, करंट लगने से मौत की आशंका-पुलिस के मुताबिक, महिला के पैर के पास काले रंग के निशान मिले हैं। पहली नजर में आशंका जताई जा रही है कि ये निशान खेत में लगे करंट की वजह से हो सकते हैं। हालांकि, महिला की मौत सच में कैसे और किन हालातों में हुई, इसका सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

पहचान जुटाने में लगी पुलिस

घटना के बाद से ही पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हाल-फिलहाल में इलाके से कोई महिला लापता तो नहीं हुई थी। महिला की पहचान के लिए उसका हुलिया और फोटो आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में भेजे गए हैं। महिला खेत तक कैसे पहुंची, उसकी मौत कब हुई और क्या उसे कहीं और से लाकर यहां फेंका गया, पुलिस इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है।

संयुक्त जांच में अनियमितता सामने आने का दावा, कथित कूटरचित राजीनामे ने बढ़ाए सवाल; 4 अक्टूबर से भूख हड़ताल की चेतावनी

5.93 लाख के मनरेगा मामले की फाइल आखिर जिला पंचायत में क्यों अटकी?



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिला मुख्यालय की मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में मनरेगा कार्य में कथित वित्तीय अनियमितता और जिला पंचायत स्तर पर कार्रवाई में देरी का मामला एक बार फिर सामने आया। केवलारी तहसील के ग्राम ढुटेरा (पांजरा) निवासी शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर ग्राम पंचायत में शासकीय वनभूमि के खसरा क्रमांक 284 पर निर्माण कार्य के नाम पर 5 लाख 93 हजार 965 रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

संयुक्त जांच रिपोर्ट में अनियमितता सामने आने का दावा

शिकायतकर्ता के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी के निर्देशन में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की संयुक्त टीम ने 16 दिसंबर 2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि जांच में ग्राम पंचायत ढुटेरा के सरपंच कमलेश डहेरिया, तत्कालीन/सेवानिवृत्त सचिव संजय तिवारी एवं ग्राम रोजगार सहायक राजकुमार बिहुरिया की भूमिका को लेकर शासकीय राशि के दुरुपयोग की बात सामने आई थी। हालांकि संबंधित आरोपों पर संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है। इसलिए अंतिम जिम्मेदारी और दोष का निर्धारण सक्षम विभागीय अथवा कानूनी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

कथित कूटरचित राजीनामा बना दूसरा बड़ा सवाल

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इसी बीच 17 फरवरी 2026 को उसके नाम और हस्ताक्षर से कथित रूप से एक राजीनामा पत्र जिला पंचायत में प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने ऐसा कोई राजीनामा नहीं दिया और उसके हस्ताक्षर का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। अब शिकायतकर्ता की मांग है कि उक्त दस्तावेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि हस्ताक्षर कूटरचित पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

शिकायत वापस लेने के लिए धमकी का भी आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों का मनोबल बढ़ा और उसे शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसके अनुसार व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश एवं आपत्तिजनक सामग्री भेजे जाने की बात भी सामने आई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से स्वयं एवं परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

नई सीईओ से जगी थी उम्मीद, अब कार्यप्रणाली पर सवाल

जिला पंचायत में नई मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदभार संभालने के समय लोगों को उम्मीद थी कि एक सख्त, निष्पक्ष और नियमों का पालन कराने वाली महिला अधिकारी के आने से लंबे समय से लंबित मामलों में तेजी आएगी। कुछ लोगों को पूर्व जिला पंचायत सीईओ प्रियंका दास की कार्यशैली की भी याद आने लगी थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जिला पंचायत में नियमों के पालन और जवाबदेही को लेकर फिर सख्ती दिखाई देगी। लेकिन अब लंबित शिकायतों और कार्रवाई की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों ने इन उम्मीदों को फिर चर्चा में ला दिया है। 5.93 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में संयुक्त जांच रिपोर्ट होने के दावे और कथित कूटरचित राजीनामे की शिकायत के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने को लेकर शिकायतकर्ता सवाल उठा रहा है। लोगों के बीच अब यह सवाल भी चर्चा में है कि अधिकारी बदलने से क्या कार्यप्रणाली भी बदलती है, या फिर फाइलों के निपटारे का तरीका वही रहता है? आखिर जांच रिपोर्ट के बाद भी मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? हालांकि इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ एवं संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी

शिकायतकर्ता ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वह 4 अक्टूबर 2026 से ग्राम पंचायत ढुटेरा स्थित चिता पत्थर मंदिर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगा। अब निगाहें जिला पंचायत प्रशासन पर हैं कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों, कथित जांच रिपोर्ट और कथित कूटरचित राजीनामे की स्वतंत्र जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या मामला फिर फाइलों में लंबित रहता है।

6 महीने से आयुष्मान का पेमेंट नहीं,धरने पर बैठे डॉक्टर

भोपाल में प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन का प्रदर्शन; कहा- एनबीएचएस को भी तुरंत हटाए



भोपाल। मरीजों का आयुष्मान योजना से इलाज करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए। जेपी हॉस्पिटल कैम्पस स्थित आयुष्मान योजना के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के बैनरतले हुए प्रदर्शन में उन्होंने एनबीएचएस को भी तुरंत हटाने की मांग की। एनबीएचएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद अस्पताल में इलाज की पात्रता होगी। भोपाल में कुल 468 प्राइवेट अस्पताल है। प्रत्येक का आयुष्मान योजना का औसत डेढ़ से 2 करोड़ रुपए तक बकाया है। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन (यूपीएचडीए) के उपाध्यक्ष डॉ. धन्यजय मिश्रा ने बताया कि आयुष्मान योजना में प्राइवेट हॉस्पिटलों का जितना भी बकाया है, उसका तुरंत भुगतान किया जाए। 5-6 महीने से राशि नहीं मिलने दवाई वेंडर्स, स्टॉफ का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह पैसा नहीं मिलता है तो प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेंगे।

NABH को लेकर भी बढ़ा टकराव, डी-एम्पैनलमेंट की आशंका

इधर, प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के बीच ठअइल्ल (नेशनल एकेडेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ सर्विर्सेस) की अनिवार्यता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अस्पताल संगठनों का आरोप है कि लगातार आपत्तियां, ज्ञापन और संवाद के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंपलिट एनएबीएच की शर्त को लेकर कठोर रुख अपनाया जा रहा है। अस्पताल संगठनों का कहना है कि उन्हें विभागीय स्तर से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि 1 अक्टूबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बड़ी संख्या में अस्पतालों के आयुष्मान योजना से डी-एम्पैनलमेंट की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इस संभावित कार्रवाई से संबंधित अस्पतालों की अंतिम आधिकारिक सूची अथवा आदेश सार्वजनिक रूप से सामने आना अभी शेष है।

संगठनों का कहना है कि वे गुणवत्ता मानकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ठअइल्ल को स्वैच्छिक एवं प्रोत्साहन आधारित रखा जाना चाहिए। अस्पताल के आकार, बेड संख्या, उपलब्ध संसाधनों और क्षेत्र के अनुसार व्यावहारिक गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।

छोटे-मध्यम अस्पतालों के योजना से बाहर होने का डर : एनएबीएच अस्पताल में मौजूदा व्यवस्था, स्टॉफ, उनकी क्वॉलिअी, संख्या, लैब आदि सुविधाओं को लेकर रैटिंग देगा। इसके बाद अस्पताल को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। बुनियादी सुविधाएं होने पर ही यह मिलेगा। ऐसा होने पर कई मध्यम और छोटे अस्पताल दायरे से बाहर हो सकते हैं। इस पर अस्पताल संचालकों ने चेताया है कि यदि भोपाल सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में एक साथ बड़ी संख्या में छोटे एवं मध्यम अस्पताल आयुष्मान योजना से बाहर होते हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन गरीब एवं मध्यमवर्गीय मरीजों पर पड़ेगा जो अपने घर के नजदीक निजी अस्पतालों में आयुष्मान के माध्यम से कैशलेस उपचार प्राप्त करते हैं। बड़ी संख्या में अस्पताल डी-एम्पैनल होते हैं तो इन अस्पतालों में इलाज करा रहे और भविष्य में आने वाले आयुष्मान मरीजों का भार आखिर कौन उठाएगा? क्या सरकारी और शेष सूचीबद्ध अस्पताल अचानक बढ़ने वाले मरीजों का अतिरिक्त भार संभालने के लिए तैयार हैं?

सरकार हस्तक्षेप करें: अस्पताल संगठनों ने मांग की है कि किसी भी बड़े पैमाने की डी-एम्पैनलमेंट कार्रवाई से पहले राज्य सरकार हस्तक्षेप करे तथा अस्पताल संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बैठक कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। यह लड़ाई ठअइल्ल में गुणवत्ता सुधार के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक ऐसी अनिवार्यता के विरुद्ध है, जिसके कारण छोटे एवं मध्यम अस्पतालों के आयुष्मान नेटवर्क से बाहर होने की आशंका पैदा हो रही है।

कार्रवाई होने पर प्रदेशभर में आंदोलन : अस्पताल संचालकों ने स्पष्ट किया कि यदि 1 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर डी-एम्पैनलमेंट की कार्रवाई होती है, तो प्रदेशभर के अस्पताल संगठन इसके विरुद्ध सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाएंगे।

प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा निरंतर विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

यात्रियों के लिए जिलों में सुविधायुक्त बस स्टैंड और अन्य प्रबंध किए जाएं

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों के हित में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत की गई है। प्रदेश में वर्ष 2005 में राज्य परिवहन निगम बंद किया गया था। राष्ट्रवादी विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, 25 सितम्बर से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के संचालन की शुरूआत हुई है, जिसका निरंतर विस्तार किया जाएगा। अगले पांच वर्ष में 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य है। इस सेवा में पूर्व से संचालित फिट बसों का उपयोग भी किया जा रहा है, अतः नागरिकों सहित किसी को भी भ्रमपूर्ण जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास के संबंध में जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा निर्देशित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सेवा संकल्प माह के अंतर्गत प्रारंभ इस सुविधा से स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रियों को व्यवस्थित बस संचालन का लाभ दिलवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। संबंधित जिलों में प्रशासन के स्तर पर नागरिकों और बस आपरेटर्स को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। सेवा के प्रदेशव्यापी विस्तार के साथ सभी जिलों में प्रशासनिक अमला नागरिकों की सुविधा के लिए सजग भूमिका का निर्वहन करेगा। वर्तमान में जिन रूट्स पर बसों का संचालन किया जा रहा है वहां मैदानी अमले द्वारा सहयोगी रवैया अपनाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन स्थानों पर बस डिपो या टर्मिनल बंद स्थिति में हो तो उन्हें स्वच्छता अभियान चलाकर और बैठक एवं अन्य सुविधाओं का विकास कर उपयोगी बनाया जाए। जहां स्टाप या बस स्टैंड खत्म हो चुके हैं वहां भूमि उपलब्ध करवाकर यह सुविधा विकसित की जाए। परमिट के अलावा जो बसें चल रही हैं उनके व्यवस्थित और अनुशासित संचालन को प्राथमिकता दी जाए। निजी बस ऑपरेटरों के फिटनेस, परमिट की शर्तें, ड्राइवर का बस संचालन और व्यवहार के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी से नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रीय कंपनियों के साथ शहरों में आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए स्थानीय प्रशासन सहयोग करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बसों के बाधारहित संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग दिलवाया जाए। इसके साथ ही जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें की जाएं। जिला कलेक्टर टीएल बैठक में क्षेत्रीय कंपनी के ईडी से भी प्रत्येक सप्ताह चर्चा करें।राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से सभी जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों के समक्ष रूट प्रस्तुतिकरण और सुझाव प्राप्त करने की काईवाई भी सुनिश्चित की जाए। आम जनता के हित में सभी एजेंसियों के बीच परस्पर आवश्यक संवाद रहे। परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ दिलवाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यात्रियों से प्राप्त सुझावों पर भी प्रशासन की ओर से जरूरी प्रबंध किए जाएं। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। परिवहन क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले इसलिए बस ऑपरेटर्स से प्रशासन का नियमित संवाद हो। विभिन्न तरह की भ्रांतियां को समाप्त किया जाए। जो पूर्व से संचालित फिट बसें हैं, उनका संचालन किया जा रहा है। अनेक आधुनिक तकनीक भी अपनाई गई हैं, जिसमें यात्री एप के माध्यम से यात्रा के संबंध में बेहतर प्लान कर यात्रा कर सकता है।

परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन में बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तीन प्रमुख स्तंभ हैं- बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्तमान में प्रारंभ की गई बसों की संख्या निरंतर बढ़ाई जाएगी। यात्रियों को लाभान्वित करने के साथ निजी ऑपरेटर को उसके कार्य और व्यवसाय का जायज लाभ हो, इसका ध्यान रखा गया है। राज्य परिवहन उपक्रम के लिए भोपाल में कार्यालय की व्यवस्था की गई है। आने वाले तीन माह में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए शत-प्रतिशत कार्यालय भवन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए आवश्यक कुल 1190 में से 400 पदों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई भी पूर्ण की जाएगी। विशेषज्ञ पद भी भरे जाएंगे। प्रदेश में गत 10 माह में यात्री संख्या और रूट सर्वे के माध्यम से जो आकलन किया गया और आवश्यक बसों की संख्या का अनुमान लगाया गया उसके अनुसार प्रदेश में सात क्षेत्र में 3636 मार्गो पर 13006 बसों की व्यवस्था की जाना है। चरणबद्ध विस्तार भी किया जाएगा। वर्ष 2031 तक प्रदेश में 14981 बसों के संचालन में सफलता मिलेगी। राज्य स्तरीय आईटीएमएस प्लेटफार्म एक विशेष सुविधा है। चलो मोबिलिटी के अंतर्गत आईटीएमएस का अंतरिम रूप से प्रयोग करते हुए आवश्यक माड्यूल निर्धारित किए गए हैं। परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह ने सुगम बस संचालन के लिए अधोसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जानकारी दी।

युवाओं को नशे से बचाएं, जो हॉट स्पॉट हैं वहां रखें निगरानी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को हर हाल में नशे से बचाएं। विशेष रूप से शहरों में जो हॉट स्पॉट हैं वहां निगरानी रखी जाए। जिला स्तर पर प्रत्येक माह बैठक होना चाहिए जिसमें नशा मुक्त भारत पर विचार हो और इसके क्रियान्वयन की दिशा में भी आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में नशा मुक्त भारत के संबंध में वीडियो कांफ्रेंस द्वारा कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में निरंतर समीक्षा के साथ दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्यवाही में पीछे न हटें। बैठक में प्रजेंटेशन में बताया गया कि नशीली दवा, मादक पदार्थों में उत्पादन, व्यापार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एनडीपीएस एक्ट लागू है। इस कड़े काननू के तहत इस वर्ष प्रदेश में 2706 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। कुल 3690 आरोपियों से अगस्त 2026 तक 46 हजार 313 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। प्रतिबंधित कफ सीरप जप्त करने, शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर परिधि में ड्रग्स फ्री परिसर बनाने, नशा मुक्त मित्रों का सहयोग प्राप्त करने और जिलों में नशा मुक्त केंद्रों की भूमिका सक्रिय बनाने के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं।



भोपाल में रिटायर्ड IAS अफसर की गला रेतकर हत्या

भोपाल। भोपाल में रिटायर्ड कअर अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई है। बुधवार सुबह उनका शव सूरजनगर स्थित घर में मिला। गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। रातीबड़ पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में शक अग्रवाल के केयरटेकर वरुण कुमार पर है। वह वारदात के बाद से ही लापता है। उसका सामान भी अग्रवाल के घर में नहीं मिला है। उसे 28 सितंबर को ही पंजाब की एक एजेंसी के जरिए नौकरी पर रखा गया था। पुलिस को घर में आग लगाने की कोशिश के संकेत भी मिले हैं। किचन में एलपीजी सिलेंडर का पाइप निकला हुआ था। पूरे घर में गैस भर गई थी। राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ इसी मकान में रहते थे। सुबह करीब 5:30 बजे पत्नी की नींद खुली। वे मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगीं तो मेन डोर बाहर से बंद था। उन्होंने दूसरे नौकर राजन थापा को फोन लगाया। इसके बाद राकेश अग्रवाल के कमरे की तरफ गईं। दरवाजा खोलने पर राकेश का शव जमीन पर पड़ा दिखा।

बाघ की करंट लगने से मौत की आशंका

मंडीदीप। रायसेन जिले के दाहोद स्थित एक खेत में सोमवार को 6 साल के बाघ का शव मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वनमंडल औबेदुल्लागंज भेजा गया। मंगलवार को डॉक्टरों की टीम ने बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया। डीएफओ हेमंत रैकवार ने बताया कि शुरूआती जांच में बाघ की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के असली कारणों की पुष्टि बुधवार को विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। बाघ की मौत के जिम्मेदार शिकारियों या आरोपियों की तलाश के लिए वन विभाग ने चार अलग-अलग विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें मंगलवार सुबह से ही घटनास्थल और आसपास के इलाकों में बारीकी से जांच कर रही हैं। रातापानी अभयारण्य के एसडीओ राजकुमार शिवहरे ने बताया कि गठित टीमें लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई हैं। जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रायसेन एसडीएम कार्यालय में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध

5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर लेनी होगी अनुमति, लाउडस्पीकर पर भी रोक



रायसेन। रायसेन में रउट कार्यालय परिसर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी मनीष शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 29 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर एक महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के मुताबिक, अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना 5 या उससे ज्यादा लोग धरना, प्रदर्शन, जुलूस या सभा के लिए एकत्र नहीं हो सकेंगे। कार्यालय परिसर में लाठी-डंडे, धारदार हथियार और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

लाउडस्पीकर और भड़काऊ भाषण पर भी रोक : एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया कि परिसर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने, भड़काऊ भाषण देने और शांति भंग करने वाले नारे लगाने पर भी रोक रहेगी। सरकारी या अदालती काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और जरूरी काम से कार्यालय आने वाले लोगों को छूट दी गई है। इसके अलावा एसडीएम से अनुमति प्राप्त लोग भी इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में सफल हो रहा है सेवा संकल्प अभियान 2026: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश में सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत 3 और 4 अक्टूबर को गावों और शहरों में लगेंगे शिविर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्पन्न गतिविधियों की जानकारी लेकर आगामी कार्यक्रमों के संबंध में दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ एक माह के सेवा संकल्प अभियान:2026 की गतिविधियों को अच्छी सफलता मिल रही है। अभियान में गत 12 दिवस अनेक अभिनव कार्य सम्पन्न हुए हैं। अभियान के शेष दिनों में ऐसे ही रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होंगे जिससे जन-जन को जोड़ने का कार्य होगा। जनकल्याण की दिशा में जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं वहीं सेवा संकल्प अभियान 2026 ने नागरिकों में उत्साह का संचार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत हुई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को अभियान की गतिविधियां जारी रखने के निर्देश दिए। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्रीगण श्री प्रह्लाद पटेल, श्री विजय शाह, श्री विश्वास सारंग, श्री नागर सिंह चौहान, श्री उदय प्रताप सिंह, सुश्री निर्मला भूरिया, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और मुख्यसचिव श्री अशोक बर्णवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अन्य मंत्रीगण वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ हुए एक माह अवधि के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों से नागरिकों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभियान के कार्यों की जानकारी प्राप्त की और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। मंत्री गण और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए। अनेक मंत्री और जिला स्तर के अधिकारी वर्चुअल रूप से



जुड़े।

सेवा सेतु अभियान होगा 3 और 4 अक्टूबर को : बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु अभियान आयोजित किया गया। अभियान में 3 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस अभियान में 3 अक्टूबर को साप्ताहिक जन विश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा।

सेवा के रंग- राष्ट्र के संग (भारत मंडल) : प्रदेश के 6 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ और आलीराजपुर में निर्धारित थीम पर मानव रंगोली की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत विद्यार्थी, उद्यमी, शिक्षक, अधिकारी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। कुल 16 फोकस सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। सेवा ज्योति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को निकाली जाएगी, जिसके राज्य नोडल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और राज्य प्रभारी अधिकारी श्री संजीव सिंह होंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इन यात्राओं में हितलाभ वितरण के साथ विकसित भारत और सेवा के संकल्प से जुड़े आयोजन होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी 7 अक्टूबर को वर्चुअल संबोधन देंगे।

आशीर्वाद का दीया गतिविधि से हुए शानदार शुरूआत : प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को अभियान प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 3 करोड़ 87 लाख 80 हजार 463 दीयें जलाए गए। इसमें कुल 2 करोड़ 64 लाख 85 हजार 60 नागरिकों ने सहभागिता की। उज्जैन में दीपक जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया गया। उज्जैन में 33 लाख 27 हजार 125 दिए जलाये गए। इस गतिविधि के लिए नोडल मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य प्रभारी अधिकारी श्री संजय दुबे थे। जनसम्पर्क सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने दायित्व संभाला।

मेरे सपनों का भारत- भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता : 19 सितम्बर से 26 सितम्बर के बीच प्रदेश में 27 लाख 28 हजार 668 प्रतिभागियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में और 12 लाख 37 हजार 810 प्रतिभागियों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। नोडल मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव श्री संजय गोयल ने इस गतिविधि का दायित्व वहन किया।

नमो सेवा : प्रदेश में 19 सितम्बर से प्रारंभ नमो सेवा गतिविधि के अंतर्गत 5 अक्टूबर तक सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ टोलियां बनाकर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। अब तक 3033 कार्यक्रम हुए हैं जिनमें 5208 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। इस गतिविधि के नोडल मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी और राज्य प्रभारी अधिकारी अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला हैं। संबंधित जिला प्रशासन के साथ जनसम्पर्क विभाग द्वारा दायित्व निभाया जा रहा है।

आंगन मिलन सेवा : प्रदेश में आंगन मिलन सेवा के अंतर्गत 26 सितम्बर से गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, जो 5 अक्टूबर तक चलना हैं। आंगनवाड़ियों में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों ने कार्यक्रम में भागीदारी की है। कुल 1 लाख 35 हजार 110 बहनों का सम्मान भी किया गया। प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया और राज्य प्रभारी अधिकारी श्रीमती जीवी रश्मि हैं।1

सेवा की कहानी : प्रदेश में कुल 5 लाख 25 हजार 54 प्रेरक कहानियां प्राप्त हुई हैं। सेवा की कहानी प्रकल्प में राज्य नोडल मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी और राज्य प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क आयुक्त और परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह हैं। सेवा की कहानी के अंतर्गत 17 सितम्बर से प्रारंभ गतिविधियां 17 अक्टूबर तक पूरे एक माह की अवधि में संचालित की जा रही हैं।

वड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा : इस गतिविधि की शुरूआत 17 सितम्बर से हुई है। अब तक 1706 नगरों और कस्बों में 6 लाख 48 हजार 520 नागरिकों की सहभागिता से कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं। मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल नोडल मंत्री हैं। सचिव श्री टी इलैया राज राज्य प्रभारी अधिकारी हैं। यह गतिविधियां 7 अक्टूबर तक चलना है।

सेवा मेरा योगदान : प्रदेश में 10 गतिविधियों पर केंद्रित सेवा मेरा योगदान का संचालन 2 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में सेवा कार्य होंगे। दिव्यांगजन कल्याण और विद्यार्थी कल्याण की गतिविधियां भी राज्य नोडल मंत्री श्री राकेश सिंह और राज्य प्रभारी अधिकारी श्री श्रीमन शुक्ल के पर्यवेक्षण में होंगी।

विकसित भारत संकल्प यात्रा : प्रदेश में एक माह (17 सितम्बर से 17 अक्टूबर) की अवधि में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि और इनफ्लूएंसर्स प्रदेश भ्रमण पर आ रहे हैं। राज्य नोडल मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और राज्य प्रभारी अधिकारी सचिव श्री मनीष सिंह इन गतिविधियों का पर्यवेक्षण और निर्देशन कर रहे हैं।

कुपोषित बच्चों की मदद अब होगी ट्रैक: भावनी बताएगा किस बच्चें को कितनी जरूरत

सत्यापित आंकड़ों से चिन्हित होंगे बच्चें
समाज के मददगार सीधे जुड़ेंगे सहायता से
पोषण सुधार तक हर कदम का रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। कुपोषण के खिलाफ मध्यप्रदेश में सरकारी प्रयासों के साथ अब समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं और दानदाताओं की भागीदारी को तकनीक के माध्यम से जोड़ने की पहल की गई है। 'भावनी' पोर्टल ऐसा डिजिटल मंच है, जो पोषण संबंधी आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गदर्शकों, सहयोगी संस्थाओं और दानदाताओं से पारदर्शी तरीके से जोड़ने का काम करता है। पोर्टल का उद्देश्य केवल किसी बच्चे तक सहायता पहुंचाना नहीं, बल्कि सहायता मिलने के बाद उसकी पोषण स्थिति में हुए बदलाव की निरंतर निगरानी और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना भी है।

पहचान छिपी रहेगी, जरूरत सामने होगी

'भावनी' पोर्टल पर महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रणालियों से सत्यापित बाल आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों की निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी व्यक्तिगत पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती। पोर्टल पर बच्चों की जानकारी अनाम रूप में प्रदर्शित होती है, ताकि जरूरतमंद बच्चे तक सहायता पहुंचने के साथ उसकी गोपनीयता भी सुरक्षित रहे।

बच्चे की जरूरत के अनुसार तय होती है सहायता

'भावनी' पोर्टल पर मार्गदर्शक समग्र पहचान क्रमांक के साथ अथवा उसके बिना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के बाद वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध बच्चों की सूची देख सकते हैं और बच्चे की पोषण स्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार उसका चयन कर सकते हैं। सहायता का प्रकार, कितनी बार सहायता दी जाएगी और सहायता से संबंधित अन्य विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित बच्चे के लिए विशिष्ट सहायता पहचान क्रमांक तैयार होता है। इस व्यवस्था से सहायता को सामान्य रूप से वितरित करने के बजाय बच्चे की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप लक्षित किया जा सकता है। इससे सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्था को भी यह स्पष्ट रहता है कि सहायता किस उद्देश्य से और किस प्रकार उपलब्ध कराई जा रही है।

सहायता के बाद भी मॉनिटरिंग जारी रहेगी

'भावनी' पोर्टल की विशेषता यह है कि इसमें सहायता उपलब्ध कराने के बाद प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। ह्यमेरे बच्चों की सूचीह्न के माध्यम से मार्गदर्शक संबंधित बच्चों को दी जा रही सहायता की स्थिति तथा उनकी पोषण संबंधी प्रगति का अनुश्रवण कर सकते हैं। निर्धारित साप्ताहिक अथवा मासिक अंतराल पर बच्चे की स्थिति को अद्यतन किया जाता है। प्रत्येक प्रविष्टि में सहायता की तिथि, सहायता का स्वरूप, बच्चे की पोषण स्थिति, अवलोकन और उपलब्ध प्रमाण दर्ज किए जाते हैं। इससे बच्चे की सहायता और उसकी प्रगति का व्यवस्थित अभिलेख तैयार होता है।

सरकार और समाज के बीच बनेगा मजबूत सेतु

'भावनी' पोर्टल सरकारी तंत्र और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने का माध्यम भी है। प्रशासनिक स्तर पर पंजीकृत मार्गदर्शकों, सहयोगी संस्थाओं तथा उनसे जुड़े बच्चों की जानकारी देखी जा सकती है। इससे विभाग को यह जानने में सुविधा होती है कि किन बच्चों को सहयोग मिल रहा है और उनकी पोषण स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। इस व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार योगदान कर सकते हैं। मार्गदर्शक, सामाजिक संस्थाएं और दानदाता जरूरतमंद बच्चों की पहचान के बाद उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार कुपोषण से निपटने के सरकारी प्रयासों को सामुदायिक सहभागिता से और व्यापक बनाया जा सकता है।

वर्ष 2022 में विकसित किया गया पोर्टल

'भावनी' पोर्टल का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा वर्ष 2022 में किया गया है। पोर्टल को इस उद्देश्य से विकसित किया गया कि जरूरतमंद बच्चों की पहचान, उन्हें सहायता से जोड़ने तथा सहायता के बाद उनकी प्रगति पर नजर रखने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग की सत्यापित प्रणालियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से सहायता की जरूरत वाले बच्चों तक सहयोग पहुंचाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाता है।

तकनीक और संवेदना का संगम

'भावनी' पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें तकनीक को सामाजिक संवेदना और सामुदायिक सहभागिता से जोड़ा गया है। विभाग अपनी योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ निरंतर कार्य करता है, वहीं समाज के सक्षम व्यक्ति और संस्थाएं जरूरतमंद बच्चों के लिए अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध करा सकते हैं।

बरहटा में लगातार विवाद और जान से मारने की धमकी का आरोप पीड़ित ने एसपी से मांगी सुरक्षा



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। रीठी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरहटा निवासी आनंद तिवारी पिता सुरेश तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कटनी को लिखित शिकायत सौंपकर परिवार की सुरक्षा और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आनंद तिवारी ने गांव के ही सोमदत्त तिवारी, उनके पुत्र योगेश तिवारी, विजयेंद्र तिवारी, नितिन तिवारी, श्याम तिवारी एवं सचिन तिवारी सहित अन्य लोगों पर लगातार गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, मारपीट, रास्ता रोकने, विवाद करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि आए दिन उसके और उसके परिवार के साथ विवाद एवं उत्पात किया जाता है, जिससे परिवार के बीच भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोमदत्त तिवारी द्वारा बार-बार धमकाते हुए कहा जाता है कि ह्लमेरा बेटा वकील है, तुम लोगों के पूरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। आनंद तिवारी के अनुसार, उनका परिवार चार सदस्यों का है, जबकि विपक्षी पक्ष में करीब आठ सदस्य हैं। संख्या अधिक होने के कारण उन पर दबाव बनाया जाता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है। भय के चलते परिवार अपने सामान्य दैनिक कार्य भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले को लेकर पूर्व में थाना एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष कई बार शिकायतें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अपेक्षित एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण कथित घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि विपक्षी पक्ष का एक व्यक्ति शासकीय शिक्षक है। आनंद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के साथ संबंधित व्यक्ति के शासकीय सेवा संबंधी दावों एवं शिकायतों की भी जांच किए जाने की मांग की है। आनंद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा स्वयं और अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।

43 वर्ष की शासकीय सेवा के बाद शिक्षिका रजनी श्रीवास्तव को दी भावभीनी विदाई

पवई। शासकीय पीएम श्री कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पवई में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती रजनी श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति अवसर पर सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्था के प्राचार्य श्री आर.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। समारोह में शाला परिवार के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ श्रीमती रजनी श्रीवास्तव के परिवार के सदस्य एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ने शिक्षा विभाग में लगभग 43 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं। अपने सरल, सौम्य एवं सहयोगात्मक व्यवहार के चलते वे शाला परिवार में लंबे समय से सम्मानित रहीं। सेवाकाल के दौरान उन्होंने विद्यालय परिवार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शाला परिवार के सदस्यों ने उनके लंबे सेवाकाल को याद करते हुए अपने-अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम के दौरान शाला की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। शिक्षकों ने श्रीमती रजनी श्रीवास्तव के कार्यकाल एवं विद्यालय के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए उनके सुखद, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान समारोह का माहौल भावुक हो गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक हरिशंकर खटीक द्वारा किया गया। समारोह में शाला परिवार से ठाकुरदास गर्ग, एच.एस. प्रजापति, गीता खटीक, गोपाल कृष्ण सेठिया, राम कृपाल कोरी अन्य की उपस्थित रही।

जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देश पर अधिकारियों का क्षेत्रीय भ्रमण जारी

बड़वारा विकासखंड की ग्राम पंचायतों में VB-G RAM G के कार्यों का लिया जायजा श्रमिकों से की संवाद



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देश पर जिला पंचायत के योजना प्रभारी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की मैदानी स्थिति का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को श्इ-ऋ फ्अट ऋ योजना के परियोजना अधिकारी श्री ऋषि राज चढ़ार ने विकासखंड बड़वारा की ग्राम पंचायत निगहरा, बरछेका, बनहरा एवं अमाड़ी का भ्रमण कर योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान परियोजना अधिकारी श्री चढ़ार ने निर्माण कार्यों में कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों से प्रत्यक्ष संवाद कर मजदूरी भुगतान एवं कार्य की स्थिति की जानकारी ली। श्रमिकों ने बताया कि श्इ-ऋ फ्अट ऋ योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में उन्हें 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त हो रही है। अधिकारियों द्वारा श्रमिकों से कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं एवं उपस्थिति दर्ज किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान मेट सुश्री सुलोचना ने ठटटर के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने में लगने वाले समय के संबंध में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सुबह एवं शाम दोनों समय कार्य करने वाले श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अधिकारियों ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति एवं योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कार्य संचालन की जानकारी भी प्राप्त की। जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर के निदेर्शानुसार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे इस तरह के क्षेत्रीय भ्रमण का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना, श्रमिकों की समस्याओं को समझना तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करना है।इस अवसर पर सहायक यंत्री सुश्री प्रियंका लखेरा, उपयंत्री श्री धीरेन्द्र मिश्रा, श्री डी.एस. बघेल सहित संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

शराब के नशे में ट्रक चलाते चालक को निवार पुलिस ने पकड़ा, वाहन जब्त



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चौकी निवार, थाना माधवनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में ट्रक चलाते एक चालक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को ग्राम निवार बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान स्वराज मजदा ट्रक क्रमांक टढ 20 अ 6763 को रोका गया। ट्रक चालक अरविंद वंशकार पिता रामू वंशकार, निवासी वार्ड क्रमांक 03, ग्राम मटवारा, तहसील बहोरीबंद, थाना स्लीमनाबाद, जिला कटनी को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। पुलिस ने चालक की एल्कोहल एनालाइजर मशीन से जांच की, जिसमें शराब का सेवन किया जाना पाया गया। इसके बाद चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रक को गवाहों की मौजूदगी में विधिवत जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। चौकी निवार पुलिस ने प्रकरण में इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में चौकी प्रभारी अंजनी मिश्र, सहायक उप निरीक्षक राजेश कोरी, कामेश्वर शुक्ला, प्रधान आरक्षक गौरव सेन, अंकित दुबे, संतोष प्रजापति, आरक्षक अरविंद एवं बकील की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सहारे से स्वावलंबन की ओर बढ़े कदम–109 दिव्यांगजनों को 39.42 लाख के सहायक उपकरण वितरित होंगे

दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने "सेवा से संकल्प अभियान" के दौरान हुई सार्थक पहल



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। संकल्प से सेवा अभियान के अंतर्गत सामाजिक सरोकार और समावेशी विकास की दिशा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी ने संवेदनशील पहल करते हुए दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के नेतृत्व जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर के कुशल मार्गदर्शन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी एवं ALIMCO के संयुक्त सहयोग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के CSR ¸fQ से 39.42 लाख रुपये मूल्य के सहायक उपकरण 109 दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाना है।

इसी क्रम में मंगलवार को जनपद पंचायत कटनी में आयोजित कार्यक्रम में 36 दिव्यांग हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण अनुराग मोदी ने बताया कि संकल्प से सेवा अभियान के अंतर्गत 30 सितंबर को नगर पंचायत बरही एवं 1 अक्टूबर को आस्था मैरिज गार्डन स्लीमनाबाद में संकल्प से सेवा अभियान अंतर्गत के अंतर्गत शिविर आयोजित कर चिन्हित एवं पात्र दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से जनपद पंचायत कटनी, जनपद पंचायत रीठी एवं नगर निगम कटनी क्षेत्र के चिन्हित दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने की पहल की गई । सहायक उपकरण मिलने से दिव्यांगजनों की दैनिक गतिविधियां सुगम होने के साथ उनकी गतिशीलता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम सहायक उपकरण केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहयोग प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन हैं। इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें दैनिक जीवन की गतिविधियों में अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजित शिविर कार्यक्रम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी के वर्क्स मैनेजर एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री राजेश पांडे, जूनियर वर्क्स मैनेजर श्री राजेश कुमार यादव एवं उरफजूनियर वर्क्स मैनेजर श्री उमेश विश्वकर्मा उपस्थित रहे। उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण एवं जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी श्री प्रदीप सिंह, जनपद पंचायत कटनी के उपाध्यक्ष श्री जगदीश उर्मलिया सहित जनपद सदस्य श्री राकेश साहू, धीरेंद्र सिंह, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव एवं श्री मयंक मिश्रा, जग्गी पटेल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सामाजिक उत्तरदायित्व को मिला मानवीय स्वरूप

इस अवसर पर कहा गया कि उरफगतिविधियों का उद्देश्य केवल विकास कार्यों तक सीमित न रहकर समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की यह पहल सामाजिक उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत उदाहरण है। कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सुविधा के साथ सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया। जिला प्रशासन कटनी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी एवं अछक्टउड का यह संयुक्त प्रयास दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल है।

पन्ना टाइगर रिजर्व में गाइडों का 14 दिवसीय अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ समापन



दैनिक रेवांचल टाईम्स, पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र मंडला अंतर्गत कर्णावती व्याख्यान केंद्र में आयोजित गाइडों के 14 दिवसीय अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण 16 सितम्बर 2026 से 29 सितम्ब र 2026 तक का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 30 गाइडों को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में महिला गाइडों सहित पुरुष गाइडों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ कुमारी प्रेरणा अशोक पोपट ने गाइडों को अंग्रेजी माध्यम में वन, वन्य प्राणियों, उनके हैबिटेट (आवास), पक्षियों, रेप्टाइल्स तथा पार्क में आने वाले पर्यटकों के साथ उचित व्यवहार और संवाद स्थापित करने के तौर तरीके सिखाए। इसके साथ ही, पार्क के नियम-कानूनों और पर्यटन से जुड़ी नियमावली जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी 14 दिनों के इस सत्र में विस्तार से दी गईं। कार्णवाती व्याख्यान केंद्र में आयोजित इस समापन समारोह में उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, सहायक संचालक मंडला, विशेषज्ञ कुमारी प्रेरणा अशोक पोपट, परिक्षेत्र अधिकारी मंडला, परिक्षेत्र अधिकारी किशनगढ़ (बफर) सहित अन्य वन स्टाफ और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी 30 गाइड उपस्थित रहे। इस प्रकार यह 14 दिवसीय प्रशिक्षण पर्यटन के क्षेत्र में गाइडों की दक्षता और संवाद कौशल को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

कटनी पुलिस ने 4 पंप बरामद कर जेल भेजा

खेत से सबमर्सिबल मोटर चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के कांटी गांव में खेतों से लगातार मोटर पंप चोरी हो रहे थे। पुलिस ने मंगलवार को मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 4 सबमर्सिबल मोटर पंप बरामद किए हैं। थाना प्रभारी सुयेश पांडे ने बताया कि 25 सितंबर की रात कांटी गांव के खेतों से पंप चोरी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। **पूछताछ में आरोपियों ने चोरी कबूल की-** पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मुखबिरों से जानकारी जुटाई। सबूतों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर छापा मारा गया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी कबूल की। राजेंद्र उर्फ मंजल राठौर (36) और करन सिंह ठाकुर (32) को कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई से किसानों को राहत मिली है। कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुयश पांडे, सउनि महेश प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक पवनराज, प्रधान आरक्षक नीलेश दुबे, आरक्षक गौरीशंकर राजपूत, आरक्षक बृजलाल प्रजापति एवं आरक्षक शिवप्रकाश तिवारी की भूमिका रही।

ओम होम हैल्थ केयर सर्विस
हमारे पास अशक्त बुजुर्ग मरीजों की देखभाल हेतु नर्स,वार्ड वॉय,आया बाई,फिजियोथैरेपी और दवाईयाँ घर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रो.जितेन्द्र पटैल CERVIC - 24X7 Hourse
मो. 9340721556,9753518166
पता-केनरा बैंक महाराष्ट्र हॉई स्कूल गोल बाजार जबलपुर(म.प्र.)

Manufacturer of t-shirts & lowers Mo. 9174614421, 9406763810
CHANDRAKALA TEXTILES
सभी प्रकार की टी-शर्ट ऑर्डर पर बनाई और प्रिंट की जाती हैं और स्पोर्ट्स सबलिमेसन जर्सी बनाई जाती हैं।
Address : shop no 151, jabalpur fashion design cluster market Lema garden Gohalpur jabalpur 482001

शव सुरक्षित रखने की सरकारी व्यवस्था ठप

18 लाख आबादी वाले शहर में दो फ्रीजर भी खराब



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। करीब 17-18 लाख की आबादी वाले जबलपुर शहर में मृत्यु के बाद शव को कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सरकारी फ्रीजर की सुविधा नहीं है। नगर निगम के पास केवल दो फ्रीजर बताए जा रहे हैं और दोनों ही खराब तथा पुराने हो चुके हैं। ऐसे में भीषण गर्मी में बाहर रहने वाले परिजनों के आने तक शव सुरक्षित रखने की जरूरत वाले परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मजबूरी में लोगों को सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न समाजों और निजी स्तर पर उपलब्ध कराए जाने वाले फ्रीजरों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बीच शव को सुरक्षित रखने की जरूरत कई परिवारों के सामने आती है। खासतौर पर जब मृतक के बच्चे, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार दूसरे शहरों अथवा राज्यों में रहते हों और उनके पहुंचने में समय लग रहा हो। ऐसी स्थिति में परिवार शव को कुछ घंटे या उससे अधिक समय तक सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन सरकारी स्तर पर फ्रीजर उपलब्ध नहीं होने से परिजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संपर्क करना पड़ता है। नगर निगम के पास दो फ्रीजर होने के बावजूद दोनों के खराब पड़े होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये फ्रीजर पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसे में शहर में सरकारी स्तर पर तत्काल उपयोग के लिए शव संरक्षण की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नागरिकों का कहना है कि जिस शहर की आबादी 17-18 लाख के आसपास है, वहां इस तरह की बुनियादी सुविधा का अभाव चिंता का विषय है।

फ्रीजर की व्यवस्था नहीं होने पर सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न समाजों से जुड़े लोग जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। कई संस्थाओं ने अपने स्तर पर फ्रीजर रखे हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सक्षम लोगों ने भी मोहल्ले के लिए फ्रीजर खरीद रखे हैं और इन्हें बिना शुल्क इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। इससे कई परिवारों को राहत मिलती है, लेकिन जरूरत के मुकाबले यह व्यवस्था सीमित है। शहर में हर दिन किसी न किसी परिवार को शव सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में उपलब्ध फ्रीजरों की संख्या कम होने के कारण सभी जरूरतमंदों को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती। कई बार परिवारों को अपने परिचितों और सामाजिक संगठनों से संपर्क कर फ्रीजर तलाशना पड़ता है। इस दौरान होने वाली देरी से परिजनों की परेशानी और बढ़ जाती है। रामपुर निवासी विजय शुक्ला ने बताया कि बीते सप्ताह उनके चाचा का निधन हो गया था। परिवार के कुछ सदस्य बाहर रह रहे थे और उनके आने का इंतजार था। परिजनों ने शव को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर की तलाश की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी व्यवस्था नहीं हो सकी। मजबूरी में बाहर से आने वाले परिजनों के पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। वर्तमान में बरसात का दौर खत्म होने की ओर है और तापमान करीब 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में दिन का तापमान बढ़ने पर शव को सुरक्षित रखने की जरूरत और बढ़ सकती है। गर्मी के मौसम में शव को सामान्य तापमान पर लंबे समय तक रखना मुश्किल होता है। लोगों का कहना है कि अधिक तापमान के कारण शव के खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे परिवार को भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्रीजर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई परिवार बर्फ की सिल्लियों का सहारा लेते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि बर्फ की सिल्लियां लंबे समय तक शव को सुरक्षित रखने का प्रभावी विकल्प नहीं हैं। खासकर तब, जब बाहर रहने वाले परिजनों के पहुंचने में कई घंटे या उससे अधिक समय लग रहा हो। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बन जाता है। नागरिकों का कहना है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार परिवार की भावनाओं से जुड़ा विषय है। कई बार परिजन चाहते हैं कि दूर रहने वाले रिश्तेदार अंतिम दर्शन कर सकें और उनके आने के बाद ही अंतिम संस्कार हो। इसके लिए शव को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। सरकारी फ्रीजर की व्यवस्था नहीं होने के कारण परिवारों को इस जरूरी सुविधा के लिए सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि खराब पड़े दोनों फ्रीजरों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए और शहर की आबादी के अनुसार नए फ्रीजर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही जरूरतमंद परिवारों तक यह सुविधा आसानी से पहुंचाने के लिए व्यवस्था तय की जाए। नागरिकों का कहना है कि सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर मदद कर रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी की जरूरत पूरी करने की जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था की भी होनी चाहिए।

बरेला में बंदरों का आतंक, स्कूल में शिक्षक-छात्रा को काटा, छत से गिरकर युवक घायल



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। वन क्षेत्रों से पलायन कर आबादी वाले इलाकों में पहुंचे बंदरों के बढ़ते आतंक से बरेला नगर के लोग परेशान हैं। आए दिन बंदरों द्वारा लोगों को दौड़ाने और हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। भोजन की तलाश में बंदरों के झुंड अब स्कूलों तक पहुंचने लगे हैं और वहां बच्चों के भोजन को निशाना बना रहे हैं। इससे स्कूलों में भी बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में पीएमश्री कन्या शाला बरेला में बंदर ने वरिष्ठ शिक्षक सतीश चौबे और छात्रा मुस्कान सोनकर को काट लिया। स्कूल परिसर में बंदर के पहुंचने और दो लोगों को काटने की घटना के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में बंदरों की संख्या बढ़ने से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बरेला नगर के विभिन्न इलाकों में बंदरों के झुंड घरों की छतों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच जाते हैं। कई बार बंदर लोगों को दौड़ाने लगते हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में विशेष रूप से डर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बंदरों के इस तरह खुलेआम घूमने से किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है। कुछ दिन पहले बरेला निवासी प्रहलाद चौकसे को भी बंदर ने दौड़ाने का प्रयास किया था। बंदर से बचने के दौरान वे छत से नीचे गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। इस घटना के बाद नगरवासियों की चिंता और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि बंदरों से बचने के प्रयास में भी लोग घायल हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक बंदरों का झुंड अब केवल रहवासी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच रहा है। भोजन की तलाश में बंदर घरों और संस्थानों में घुसने का प्रयास करते हैं। इससे लोगों को अपने बच्चों और सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पड़ रहा है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बावजूद बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से नागरिकों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि समस्या बढ़ने के साथ ही बंदरों के हमलावर होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। नगरवासियों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि बंदरों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों से उनका आवागमन कम हो और स्कूलों में बच्चों तथा शिक्षकों को सुरक्षित माहौल मिल सके। नागरिकों ने कहा कि स्कूलों, बाजारों और रहवासी क्षेत्रों में बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बंदरों की समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

वैवाहिक विवाद में वृद्ध सास-ससुर के खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई हाईकोर्ट ने निरस्त की

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में सिवनी निवासी अंबर दुबे के वृद्ध माता-पिता सुबोध कुमार दुबे और सुधा दुबे को राहत दी है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने की। मामला सिवनी महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था। याचिकाकताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि वृद्ध माता-पिता के खिलाफ किसी विशिष्ट घटना को लेकर स्पष्ट आरोप दर्ज नहीं हैं। अदालत के अनुसार, सुबोध कुमार दुबे और सुधा दुबे के खिलाफ प्राथमिकी में दहेज की किसी विशिष्ट मांग या मारपीट की घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। उनके विरुद्ध मुख्य रूप से सामान्य आरोप लगाए गए थे। इनमें पति को कथित रूप से उकसाने और शिकायतकर्ता को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए कहने जैसे आरोप शामिल थे। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पति के रिश्तेदार होने के आधार पर सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के सहारे आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। न्यायालय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी उल्लेख किया। अदालत ने माना कि आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आरोपों में पर्याप्त विशिष्टता और प्रथम दृष्टया आधार होना जरूरी है। इन्हीं तथ्यों और कानूनी स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने सुबोध कुमार दुबे और सुधा दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथा उससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से मामले में आरोपित वृद्ध माता-पिता को राहत मिली है। हालांकि, अदालत ने अंबर दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पाया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी में वैवाहिक क्रूरता, पांच लाख रुपये दहेज की मांग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिकी में 20 जुलाई 2022 की एक विशिष्ट घटना का भी उल्लेख है। हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को माता-पिता के खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोपों से अलग माना। अदालत के अनुसार, अंबर दुबे के खिलाफ प्राथमिकी में घटना और कथित कृत्यों का उल्लेख होने के कारण इस स्तर पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का आधार नहीं बनता। इस तरह हाईकोर्ट ने मामले में वृद्ध माता-पिता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी, जबकि पति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रखने का रास्ता खुला रखा। अदालत के आदेश में आरोपों की प्रकृति और प्रत्येक आरोपित के खिलाफ उपलब्ध तथ्यों को अलग-अलग आधार पर देखा गया।

होटल-रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी और कॉकरोच मिले, सुधार नोटिस जारी



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के होटल और रेस्टोरेंटों में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया। गुरुनानक स्कूल के सामने स्थित दरबार रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान किचन और स्टोर रूम में अत्यधिक गंदगी मिली। अधिकारियों को परिसर में कई जगह कॉकरोच घूमते हुए भी मिले। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और रखरखाव को लेकर गंभीर कमियां सामने आईं।जांच टीम ने रेस्टोरेंट के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति भी देखी। अधिकारियों के अनुसार ड्रेनेज व्यवस्था ठप होने के कारण पूरे परिसर में असहनीय बदबू फैली हुई थी। किचन और स्टोर रूम में साफ-सफाई का अभाव पाया गया। स्थिति को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत रेस्टोरेंट संचालक को सुधार नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने रेस्टोरेंट संचालक को निर्धारित समय सीमा में सभी कमियां दूर करने और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय अवधि में सुधार नहीं किया गया तो खाद्य लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना भी लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निदेर्शानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के अलग-अलग होटल और रेस्टोरेंटों में जांच की। अभियान का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ उनके निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान स्वच्छता व्यवस्था की जांच करना था। अधिकारियों ने संचालकों को खाद्य सामग्री तैयार करने और रखने वाले स्थानों को साफ रखने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बताया कि जांच टीम ने दीनदयाल बस स्टैंड क्षेत्र स्थित होटल बगलामुखी, होटल माई की रसोई और शंकर होटल का भी निरीक्षण किया। तीनों स्थानों पर भोजन और नाश्ता तैयार करने के दौरान स्वच्छता व्यवस्था में कमियां पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार कई स्थानों पर भोजन तैयार करने का वातावरण अस्वच्छ था। निरीक्षण के दौरान होटल बगलामुखी से समोसे और कचौड़ी के नमूने जांच के लिए लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित संचालकों को परिसर की साफ-सफाई रखने और स्वच्छ वातावरण में खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निदेर्शों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जा रहे हैं। वहां नमूनों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की जांच की जाएगी। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद नमूनों के परिणाम के आधार पर संबंधित संचालकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से खाद्य सामग्री तैयार करने वाले स्थानों की नियमित सफाई, उचित जल निकासी और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार आकस्मिक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिना नंबर की कार में चाकू मिला, युवक गिरफ्तार

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 90 क्वार्टर रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में खड़ी क्रेटा कार की जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके कब्जे से चाइना चाकू बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान गैस वितरण मैदान के सामने सड़क किनारे एक बिना नंबर की क्रेटा कार खड़ी दिखाई दी। कार के शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी, जिससे वह संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस टीम ने कार के पास जाकर उसमें बैठे युवक से पूछताछ की। युवक ने अपना नाम रिदम राय (18), निवासी शांतिनगर नंदन विहार कॉलोनी, गोहलपुर बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो गियर बॉक्स के पास चाइना चाकू रखा मिला। चाकू के संबंध में युवक से पूछताछ की गई। पुलिस ने इसके बाद चाइना चाकू और बिना नंबर की क्रेटा कार को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार 27 सितंबर की रात पेट्रोलिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई। वाहन के दस्तावेज और अन्य नियमों से संबंधित जांच भी की गई। मामले में आरोपी रिदम राय के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के साथ 3/181, 51, 100(2), 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जब्त सामान को प्रकरण में शामिल कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और गतिविधियों पर नजर रखने के दौरान यह कार्रवाई सामने आई। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

स्वागत मंच पर असुरक्षित तरीके से बीम लगाने पर संचालक पर केस



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। गढ़ा थाना पुलिस ने सड़क किनारे स्वागत मंच में लाइट लगाने के लिए बिना किसी सहारे के लोहे की बीम लगाने वाले संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से लोहे की तीन बीम जब्त कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। पुलिस के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान पीली बिल्डिंग के पास शारदा चौक में यश ग्रुप के संचालक नीतेश उर्फ गोलू मिश्रा (32), निवासी खेरमाई मंदिर, छुई खदान, गढ़ा द्वारा स्वागत मंच पर लाइट लगाने के लिए लोहे की बीम लगाई गई थी। बीम को बिना किसी सपोर्ट के असुरक्षित तरीके से लगाया गया था। इसी स्थान के ऊपर से हाईटेंशन लाइन के तार भी गुजर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस तरह बीम लगाए जाने से किसी समय हादसा होने की आशंका थी और लोगों की जान को खतरा हो सकता था। मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने स्वागत मंच में लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही लोहे की तीन बीम जब्त कर लीं। पुलिस ने बताया कि असुरक्षित तरीके से बीम लगाने के कारण जनहानि की संभावना बनी हुई थी। इस संबंध में नीतेश उर्फ गोलू मिश्रा के खिलाफ धारा 125 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जब्त बीम को प्रकरण में शामिल कर लिया है। मामले की जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि मंच किस उद्देश्य से लगाया गया था और सुरक्षा के लिए किन व्यवस्थाओं का पालन किया गया था। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की लापरवाही से लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। प्रकरण को विवेचना में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन फसल के लिए प्रदेश के किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। किसान सोयाबीन के पंजीयन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन करा सकेंगे। इसके लिए जिले में निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी हैं।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है। पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था ?द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान ?द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए जिससे किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिये पंजीयन के दौरान ही 1 रुपए का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के डिपो के लिए आरटीओ परिसर का लिया जायजा



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के सुचारू संचालन और उसके डिपो निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ डिपो निर्माण की भावी कार्ययोजना पर विचार किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि आरटीओ परिसर में लंबे समय से खड़े पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे परिसर का बेहतर उपयोग हो सके और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के डिपो के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर के आसपास लगभग 15 एकड़ का विशाल भूखंड उपलब्ध है, जिस पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिपो विकसित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत निजी बसों को भी अनिवार्य रूप से टैग करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि यात्रियों को सुव्यवस्थित और बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मुकेश कुमार श्रीवास द्वारा माँ रेवा पब्लिकेशन एन्ड प्रिंटर्स लष्मीपुर मुस्कान प्लाजा के पीछे विवेकानंद वार्ड एम आर 4 रोड़ जबलपुर म.प्र. 482001 से मुद्रित तथा लष्मीपुर मुस्कान प्लाजा के पीछे एम आर 4 रोड 21 स्वामी विवेकानंद वार्ड जबलपुर म.प्र. 482001 से प्रकाशित । संपादकः अतुल कुमार बंदेवार RNI. Reg. No MPHIN/2023/90965 (समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर) Email:- revanchaljabalpur@gmail.com मोब. 7509202320, 9406771592